खण्ड-449, अंक-4
मंगलवार, 5 श्रावण, शक संवत् 1926
(27 जुलाई, 2004 ई0)

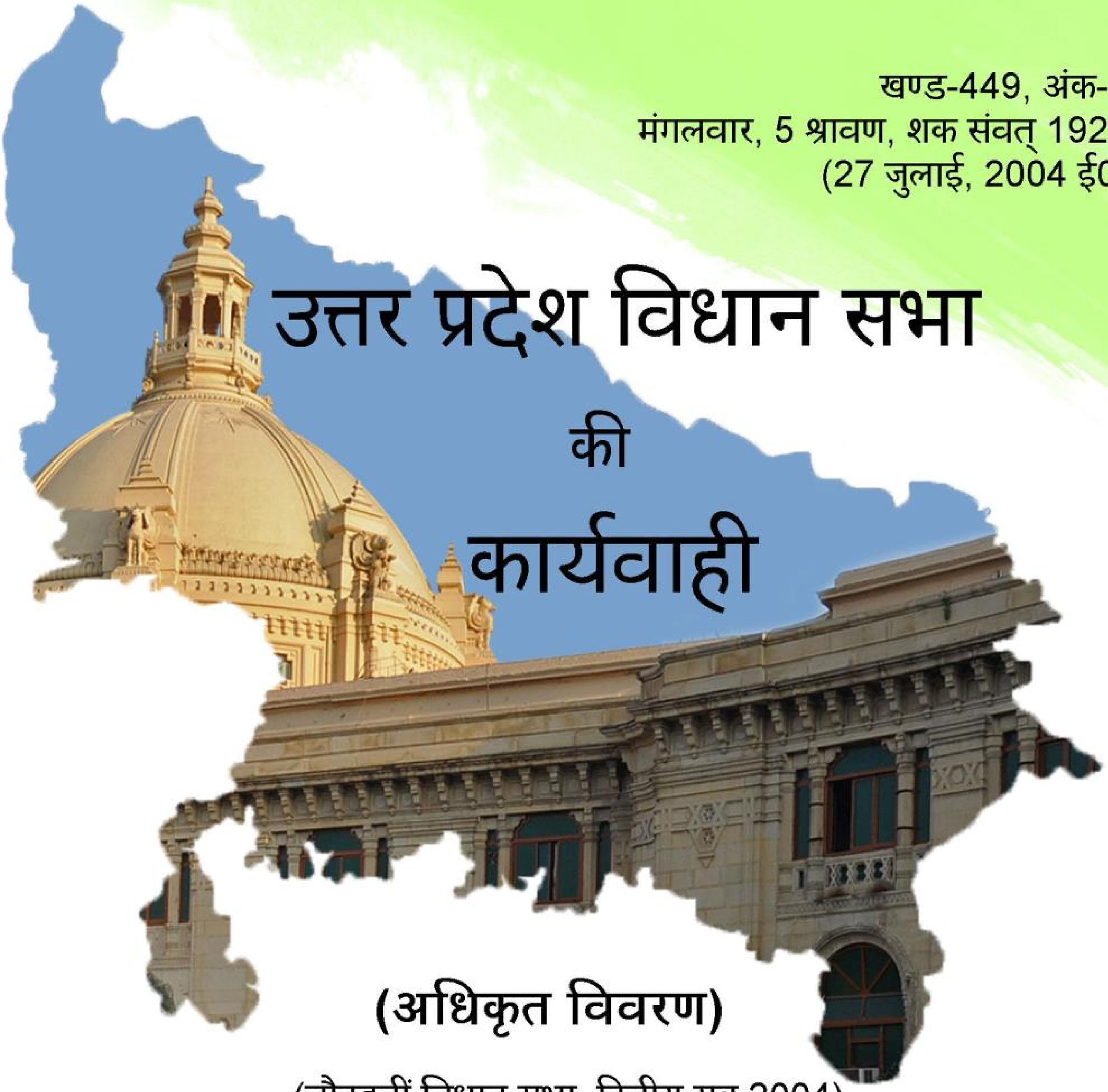

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2004)

खण्ड 449 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
जनपद उन्नाव में दलित ब्लाक प्रमुख की हत्या विषयक सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग पर सदन में गतिरोध	1-9
सदन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करने की मुख्य मंत्री द्वारा अपील	9-10
भा0ज0पा0 सदस्यों द्वारा सदन में गतिरोध उत्पन्न करने पर नेता विरोधी दल द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर सत्तापक्ष सहित अन्य दलों द्वारा आपत्ति (जारी)	10-12
सदन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम की ओर श्री अध्यक्ष का ध्यानाकृष्ट किया जाना ...	12-13
भा0ज0पा0 सदस्यों द्वारा सदन में गतिरोध उत्पन्न करने पर नेता विरोधी दल द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर सत्तापक्ष सहित अन्य दलों द्वारा आपत्ति ...	13-16
प्रश्नोत्तर	16-59
नियम 300 तथा 301 के अन्तर्गत सूचनायें	59
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	59
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	60
विधान सभा के प्रथम सत्र 2004 में नियम 301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण ..... (सदन के पटल पर रखा गया) ...	60
उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण 2001-2002 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	60
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 85वां (पच्चासीवां) प्रतिवेदन ..... (प्रस्तुत किया गया)	60
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 86वां (छियासीवां) प्रतिवेदन ..... (प्रस्तुत किया गया)	61
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 87वां (सत्तासीवां) प्रतिवेदन ..... (प्रस्तुत किया गया)	61
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 88वां (अट्ठासीवां) प्रतिवेदन .... (प्रस्तुत किया गया)	61

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	61-63
उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2003 को वापस लेने की अनुमति पर विधान परिषद् द्वारा अपनी सहमति दिये जाने विषयक प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) ...	63
श्री हुकुम सिंह द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव से पहले नेता विरोधी दल को सुने जाने का अनुरोध ..... (जारी)	63
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 .... (पुरःस्थापित)...	64
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004 .... (पुरःस्थापित) ...	64-65
नियम-300 एवं नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं .... (जारी)	65
श्री हुकुम सिंह द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव से पहले नेता विरोधी दल को सुने जाने का अनुरोध	65-67
नियम-300 एवं नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	67
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 ..... (पारित)...	67-75
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	76-77

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2004

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-355

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अजय कुमार, डा0	बागपत
श्री अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर मणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अमिता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थ नगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
कार्शाराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	ाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र, बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबा फूलेनगर
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनन्जय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्धनगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिहं यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य". श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम, एम0 काम, श्री	जालौन
बाबूलाल, श्री	गोण्डा
बाबूलाल, चौधरी	आगरा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महेन्द्र अरिदमन सिंह "राजा"	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह	
उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर,	बिजनौर
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ	
मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ	
योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ	
राजा भैया, श्री	प्रतापगढ़

रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश कान्त लवानिया, श्री	आगरा
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव,श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
रामबाबू हरित, डा0 — आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री — गोरखपुर
रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
रामशंकर पाल, श्री — उन्नाव
राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
रामहेत, श्री — सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 — मेरठ
लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती — फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री — सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
विजय सिंह, श्री — सोनभद
विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
विनय शाक्य, श्री — औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री — इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0 — पीलीभीत

विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री — बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री — अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री — शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री — बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला, "भगत राजा" — ललितपुर
वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
शंखलाल मांझी, श्री — सन्त कबीरनगर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री — बहराइच
शमीमुल हक, श्री — मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
शाकिर अली, श्री — देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री — चन्दौली
शिव प्रताप यादव, डा0 — बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, श्री — प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री — जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री — मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री — वाराणसी
श्याम नारायन, श्री — महराजगंज

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :- श्री अहमद हसन (परिवार कल्याण मंत्री),
श्री राम प्यारे सिंह (पर्यावरण मंत्री),
श्री बनवारी सिंह यादव (प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री) एवं
श्री राम आसरे विश्वकर्मा (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) तथा श्री अजीत कुमार राजू (बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही)

(चौधरी मस्तराम एडवोकेट, डा0 गंगा बक्श सिंह, श्री मुंशी लाल गौतम और अन्य अनेक भाजपा के सदस्यगण सदन के वेल में आ गये।)

जनपद उन्नाव में दलित ब्लाक प्रमुख की हत्या विषयक सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग पर सदन में गतिरोध

डा0 गंगा बक्श सिंह (सदन के वेल से)-

माननीय अध्यक्ष जी, उन्नाव में अपराधों की बाढ़ आयी है, 24 तारीख और 25 तारीख को तीन आदमी मारे गये। डकैतियां पड़ रही हैं और कल 26 तारीख को एक और दलित ब्लाक प्रमुख का नवाबगंज ब्लाक में मर्डर हुआ, पुलिस की सांठ-गांठ से मर्डर हुआ। ब्लाक प्रमुख की डेडबाडी को जानवरों की तरह टेम्पो में लादा गया। जब माननीय टण्डन जी यहां से गये तो एफ0आई0आर0 लिखी गयी। कहा गया कि पोस्टमार्टम रात में होगा लेकिन पोस्टमार्टम 10 बजे हुआ है। उन्नाव में हत्याओं की बाढ़ आ गयी है इस पर आप चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों ने बहुत सी नोटिसें दी है, उनको मैंने स्वीकार करते हुए नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है। नियम-52 के अन्तर्गत दो घण्टे की चर्चा स्वीकार की है।

*श्री हुकुम सिंह-

आपने नियम-56 में दो घण्टे की चर्चा स्वीकार की है। ब्लाक प्रमुख की हत्या हुई है। यह एक तात्कालिक घटना है। एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जा रही है, कानून व्यवस्था चौपट है। इसलिए मेरा कहना है कि नियम-311 में चर्चा करा दें। नियम-311 में स्वीकार करके आप चर्चा करा देंगे तो कम से कम प्रदेश की कानून व्यवस्था की भयावह स्थिति सामने आ जायेगी। डी0जी0पी0 का जो बयान है उससे लगता है कि यह किसी कार्यकर्ता का बयान है। जब ऐसे डी0जी0पी0 बैठें हैं, तो कैसे उम्मीद करेंगे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो सकती है ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मुझे भी सुन लें।

डा0 गंगा बक्श सिंह-

मान्यवर, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहें हैं वहां के थानेदार और एस0ओ0 का सस्पेंशन करने का आश्वासन जब तक नहीं देंगे, तब तक यहां से हम नहीं जायेंगे।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, दलित कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। ललितपुर में सरकार के मंत्री द्वारा जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। हत्याएं, डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं।

डा0 गंगा बक्श सिंह-

मान्यवर, जब तक थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज का निलम्बन सरकार नहीं करती है, तब तक हम यहां से नहीं जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने आसन पर जाएं।

(वेल में उपस्थित सदस्य वेल में बने रहे)

श्री मुंशीलाल गौतम-

वहां के थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज को निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न प्रहर महत्वपूर्ण होता है। इसमें विधायकों के महत्वपूर्ण प्रश्न लगे होते हैं इससे उनके विशेषाधिकार का हनन भी हो जाता है। टण्डन जी माननीय सदस्यों को आसन पर बुलाइए।

चौ0 मस्तराम-

मान्यवर, गिरफ्तारी का आश्वासन मिलना चाहिए।

श्री मुंशीलाल गौतम-

प्रदेश में प्रशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

सरकार चर्चा के लिए तैयार है। जब इस विषय पर चर्चा हो, उस समय अपनी बात रख लें।

डा0 गंगा बक्श सिंह-

वहां पर जानवर की तरह लाश ले गए। परिवार वाले रोते बिलखते रहे बिना पंचनामें के मोर्चरी ले गए।

श्री अध्यक्ष-

यही बात आप कहना चाहते थे अब अपने आसन पर जाएं। नेता प्रतिपक्ष कल औपचारिक रूप से कुछ बातें तय हुई थीं, उनका पालन हम सभी को करना चाहिए।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

हम चाहते हैं कि इस पर बहस हो लेकिन बहस की सार्थकता क्या है ? दो दिन से सदन नहीं चल रहा है लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिससे यह लगे कि सरकार गम्भीर है। माननीय सदस्य फ्लोर पर बैठे हैं और संसदीय कार्य मंत्री बातचीत में लगे हुए हैं। उनको इसकी चिन्ता नहीं है। पीठ पर उनकी निगाह नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या सहयोग कर सकते हैं। आप लोकतंत्र के रक्षक हैं। एक ब्लाक प्रमुख कार्यालय में दिन दहाड़े मारा जाय और उसकी लाश एक जानवर की तरह पुलिस टैम्पो पर लादकर ले जाए। परिवार वाले भटक रहे हैं उनको कोई बताने वाला नहीं है ? वहां पर 20-30 कि0मी0 पहले से रास्ता बन्द कर दिया गया है। सरकार की नजर में दलित कोई आदमी नहीं है ?

(व्यवधान जारी)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मैं स्वयं घटना स्थल पर गया था वहां पर दो-दो विधायक धरने पर बैठे हुए हैं और एस0पी0 खड़ा मुस्करा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-56 में भी आया है और आपने सारी बात कह भी ली है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठ कर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर चले जाएं। आपको भी नियमों का पालन करना चाहिए। आप लोग भी सत्ता में बैठ चुके हैं। बिना नियमों के सदन कैसे चलेगा ? आपने अपनी बात कह ली है, अब कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जायें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आपने जब इस पर चर्चा कराना तय किया था उसके बाद उन्नाव जिले में ब्लाक प्रमुख की हत्या हो जाती है। पुलिस उसकी लाश को बिना परिवार वालों को बताये और दफ्तर वालों को बताये टैम्पों में डालकर मर्चरी ले जाती है। उसकी एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं होती है। अगर यह विषय नियम 311 का नहीं है तो जन प्रतिनिधियों की यह सर्वोच्च संस्था अपने नीचे की संस्था के लोगों की कैसे सुरक्षा कर सकती है ? हत्यारों के खिलाफ एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जायेगी, तो उन हत्यारों को कैसे पकड़ा जा सकता है ? जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो लोकतंत्र की इस संस्था का औचित्य क्या है ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां-)

मान्यवर, यह सदन आपके इस पीठ पर आते ही अव्यवस्थित हो गया है। मेरा आपसे कहना है कि सदन अव्यवस्थित हो जाने के कारण कोई भी कार्यवाही नहीं लिखी जानी चाहिए और जो लिखा गया है वह कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण विषय है और उस पर यह सम्वेदनाएं हैं कि कोई बात लिखी नहीं जायेगी ? संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ? मान्यवर, सरकार की इस घटना के प्रति यह मानवीय सम्वेदना है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरा कहना है कि यह सदन अव्यवस्थित है। आपके सदन में आते ही यह सदन अव्यवस्थित हो गया। चुनाँचे आपके सदन में आने के तुरन्त बाद की लिखी हुई कार्यवाही, कार्यवाही का भाग नहीं बनना चाहिए।

श्री हुकुम सिंह-

[xxx]

श्री अध्यक्ष-

कोई बात लिखी नहीं जायेगी।

(सदन में बैठे सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह बी0जे0पी0 और ब0 स0 पा0 में होड़ लगी है कि किसकी खबर पहले छपेगी, किसकी खबर टी0 वी0 में पहले दिखाई जायेगी ? इन दो लोगों की होड़ में पूरे प्रदेश का नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा। कोई बात लिखी नहीं जायेगी ? एक भी बात लिखी नहीं जा रही है, आप चाहे जितना बोलिये। आपने अपनी पूरी बात कह ली है अब आप अपनी सीटों पर चले जायं। जब इसके लिये चर्चा का समय निर्धारित हो गया है तो फिर आप लोग चलें अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं। मेरा आग्रह है माननीय नेता विरोधी दल से कि वे अपने सदस्यों को समझाकर ले जायं।

(घोर व्यवधान)

अगर आप लोग यही चाहते हैं कि सदन न चले तो यह बहुत अच्छी बात नहीं है। आप लोग चुनकर आये हैं।

(व्यवधान)

किसी की कोई बात नहीं लिखी जाएगी। आप लोग अपनी सीट पर जाएं।

(डा0 गंगा बक्श सिंह, चौ0 मस्तराम एडवोकेट, श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री फागू चौहान, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री सतीश महाना, श्री राम इकबाल सिंह, श्री नवाब सिंह नागर, श्री राजवीर सिंह, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्रीमती प्रेमलता कटियार तथा प्रो0 शिवा कान्त ओझा आदि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन हो गया)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य नियमावली पढ़ लें, नियमावली में बहुत कुछ व्यवस्था है, सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, तो कार्यवाही के लिए तैयार रहें।

(सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे)

मैं आग्रह करता हूं आप अपने आसन पर जाएं। आगे की कार्यवाही होनी चाहिए।

(घोर व्यवधान)

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, आप नियम-311 में स्वीकार कर लें बात खत्म हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-56 में सब प्रश्न आ रहे हैं तो नियम-311 का क्या मतलब है ?

श्री लालजी टण्डन-

तात्कालिक घटना है।

श्री प्रमोद कुमार-

भारतीय जनता पार्टी सदन को नहीं चलने देना चाहती है।

श्री लालजी टण्डन-

माननीय प्रमोद कुमार जी यह लांछन लगा रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

प्रश्न प्रहर क्यों नहीं चलने देना चाहते हैं ?

श्री सतीश महाना-

मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 में आ रहा है नियम-311 से फिर क्या मतलब है ?

(व्यवधान)

आप दोनों में तय कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं ? जिन बातों को आप उठाना चाहते हैं, उन पर आपको सरकार का उत्तर भी चाहिए, तो उसके लिए चर्चा होनी चाहिए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, पहले हमें अपनी बात उठाने की अनुमति दीजिए फिर उत्तर भी आए।

श्री अध्यक्ष-

जो हो रहा है, वह नियमों के विपरीत हो रहा है। आप ऐसा न करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, सदन अव्यवस्थित है, इसे आप व्यवस्थित करें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है, जब हम आपकी बात को नियम-56 में सुनने के लिए तैयार हैं, तो आप प्रश्नकाल होने दीजिए।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा बोलने पर)

यह लिखा नहीं जाएगा क्योंकि आप बार-बार बोल रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

आप नियम-56 में स्वीकार करें या किसी अन्य नियम के अन्तर्गत स्वीकार करें लेकिन हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर तुरन्त चर्चा शुरू कर दी जाए। हम इस पर तत्काल चर्चा चाहते हैं। आप चर्चा शुरू करा दीजिए। यह कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, जब बिना कोई आइटम लिए चर्चा शुरू हुई है ? हम आपसे आग्रह करते हैं। आपका संरक्षण चाहते हैं, आप हम पर कृपा करें। आज कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बिना और प्रोग्राम लिए हुए इस पर चर्चा शुरू करा दें।

श्री अध्यक्ष-

श्री हुकुम सिंह जी, आप उपाध्यक्ष भी रहे हैं, आप नियमों के जानकार भी हैं, आप बता दें, जब सभी नेताओं ने सामूहिक रूप से कानून व्यवस्था के प्रश्न पर नोटिस दिया है और सब की राय है कि चर्चा हो तब फिर अलग से आपकी बात पर चर्चा का क्या औचित्य है ?

श्री लालजी वर्मा-

नेता विरोधी दल ने जब सूचना ही नहीं लगाई है, तब फिर इस पर चर्चा की बात कहां से आती है ? नेता विरोधी दल ने आज इस पर सूचना ही नहीं लगाई है। यह चाहते हैं कि सदन में सरकार की कमियां उजागर न होने पायें। इनका उद्देश्य चर्चा कराना नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, आप सदन को व्यवस्थित करायें।

(वेल में आए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण नारे लगा रहे थे)

(व्यवधान जारी)

*श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब आपने कानून व्यवस्था पर चर्चा स्वीकार कर ली है उसका समय निर्धारित होना है। मान्यवर, आप सुनना चाहते हैं तो मैं नेता प्रतिपक्ष से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन को क्यों गिरवी रखा हुआ है ? क्यों वह संख्या के आधार पर सदन नहीं चलने दे रहे हैं ? इसके लिए वह दोषी हैं। जिस विषय को उठाया जा रहा है उस पर मान्यवर, आप चर्चा कराना चाहते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है ? क्या [x x x] मान्यवर, जैसे इराक में आतंकवादियों ने कुछ लोगों को बंधक बनाया हुआ है। इस समय भारतीय जनता पार्टी [x x x] के रूप में काम कर रही है। यह वह आचरण है जो उनको शोभा नहीं देता। आपने चर्चा स्वीकार कर ली है फिर भी वह जिस प्रकार वेल में बैठे हुए हैं उससे लगता है कि वह अपराधियों को बचाना चाहती है, अपने पापों को छुपाना चाहती है इसलिए यह सदन नहीं चलने देना चाहती है। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रस्ताव लाना चाहिए कि वह सदन को नहीं चलने देना चाहती है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने नियम-311 में कोई प्रस्ताव दिया है ? अगर नहीं दिया है, तो वह क्यों ऐसा कर रहे हैं ? इसका मतलब यह है कि नेता प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष से मिले हुए हैं।

(घोर व्यवधान)

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, किसी विषय पर अगर सहमति हो गयी है कि कानून व्यवस्था पर चर्चा मंजूर की जायेगी और ब्लाक प्रमुख की हत्या की घटना का भी संज्ञान ले लिया गया है और दलीय नेताओं ने इस सदन को चलाने के लिए अपनी सहमति दी है। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं होने दे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

रही है। ब्लाक प्रमुख की हत्या की हम निन्दा करते हैं। मान्यवर, जब से हाउस चलता है एक दिन भी काम नहीं हो पाया है।

(भाजपा के सदस्यगण सदन के वेल में बैठे रहे और नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने स्थान पर जायें। अब बहुत हो गया है। जरा अनुशासन को बनाये रखें। आप जो बात कह रहे हैं वह लिखा नहीं जा रहा है।

(सदस्यगण वेल में बैठकर नारे लगाते रहे और अपनी-अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

अब बहुत हो गया, मेरा निवेदन है अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री छोटे लाल वर्मा-

[x x x]

श्री मुंशी लाल गौतम-

[x x x]

श्री नवाब सिंह नागर-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

मेरा निवेदन है, आप लोग बैठ जायें, किसी का कुछ नहीं लिखा जा रहा है। हम लोगों ने भी बहुत धरना दिया है, जब नेता प्रतिपक्ष ने सारी बातें कह दीं और हम उस पर चर्चा कराने को भी तैयार हैं, सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है, फिर आप धरना क्यों दे रहे हैं या तो आपने यह तय ही कर लिया है कि आप सदन को व्यवस्थित ढंग से नहीं चलने देंगे ?

श्री छोटे लाल वर्मा-

पहले आप हमारी बात को नियम-311 में सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपके नेता प्रतिपक्ष ने उन्नाव की घटना का भी ब्योरा दे दिया है, और जो कानून व्यवस्था पर चर्चा की बात थी उसमें हमने इसे लिख दिया है या तो आप अनुशासन को तोड़ कर, नियमों को तोड़ कर सदन को स्थगित कराना चाहते हैं या तो आप अपनी बात रखना नहीं चाहते हैं ?

प्रोफेसर शिवाकान्त ओझा-

मान्यवर, आप तत्काल सारी कार्यवाही स्थगित करके प्रदेश की कानून व्यवस्था पर नियम-311 के अन्तर्गत चर्चा करवायें। सारे लोग चर्चा के लिए तैयार हैं।

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

ओझा जी, आप तो मंत्री भी रहे हैं। आप क्यों इस तरह की बातें कह रहे हैं, जब चर्चा आयेगी तो एक-एक घटना की चर्चा होगी। आप लोग इस तरह से सदन को क्यों अव्यवस्थित कर रहे हैं ? आप लोग पढ़े-लिखे, विद्वान विधायक हैं। आप लोग सिर्फ अपनी ही बात कहेंगे या अन्य लोगों की बातें भी सुनने देंगे ? यह नियम नहीं है, ऐसी प्रक्रिया नहीं है, अगर इस तरह से आप लोग खड़े रहेंगे, तो हम भी बैठे रहेंगे और आप से ज्यादा देर तक बैठे रहेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जय श्रीराम की बात कर रहे हैं, इन्हें आज हर-हर बम याद आ रहा है। जब यह सत्ता में थे, तो इन्हें हर-हर बम याद आ नहीं रहा था। आज जब यह सत्ता से बाहर हो गये हैं, तो इन्हें हर-हर बम याद आ रहा है। मान्यवर, यह सदन प्रदेश की जनता की समस्याओं के निराकरण के लिये है। आज पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में है। तीन दिन इस सदन का समय ऐसे ही जाया हो गया है। किसानों के बकाया गन्ने के मूल्य के भुगतान पर सदन में चर्चा नहीं हो सकी है। छात्रों के सामने आज कालेजों में प्रवेश की समस्या विद्यमान है। यह कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिन पर सदन में चर्चा की आवश्यकता है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन को चलने नहीं दे रहे हैं।

(सदन के फ्लोर पर खड़े भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण नारे लगाने लगे)

हम चोर-चोर नहीं हैं। मान्यवर, [x x x] आज यह लोग सदन के महत्वपूर्ण समय को बाधित कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता इनको जान रही है कि यह जो कार्यसूची में आज महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं इनका जवाब यह सदन में आने नहीं दे रहे हैं।

मान्यवर, आपने कानून व्यवस्था पर दो घण्टे की चर्चा स्वीकार कर ली है। उन्नाव में घटित घटना का संज्ञान ले लिया है, आपने कहा है कि सरकार इसका उत्तर देगी। यह विपक्ष का रोल अदा नहीं कर रहे हैं।

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्यगण नारे लगाते रहे।)

मान्यवर, यह अगली बार चुनकर नहीं आयेंगे। यह अबकी लोक सभा के चुनाव में 9 सीटें ला पाये हैं, अगली बार विधान सभा के चुनाव में यह बिल्कुल ही साफ हो जायेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में चिराग जलाने वाला कोई नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, आप पीठ पर बैठकर सदन को चलाना चाहते हैं, आपकी मंशा है कि सदन सुचारु रूप से चले। हम आपके आभारी हैं कि आप सदन में बैठे हैं, स्थगित करके नहीं गये हैं। आप कितनी विनम्रतापूर्वक इनसे कह रहे हैं कि आपने चर्चा स्वीकार कर ली है सरकार इसका उत्तर देना चाहती है लेकिन फिर भी यह सदन को बाधित करना चाहते हैं। इन्हें संसदीय परम्पराओं का न तो कोई ज्ञान है और न ही संवैधानिक मूल्यों में इनकी कोई आस्था है।

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(सदन के फ्लोर पर खड़े भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण नारे लगाते रहे।)

एक सदस्य-

मोसेरे भाई तुम लोग होगे। (हंसी)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब मैं आपकी व्यवस्था समझता हूं। आपकी इच्छा नहीं है। आपकी व्यवस्था मैं समझ रहा हूं।

सदन व्यवस्थित नहीं है। आप धरना दे रहे हैं तो मैं भी बैठा हुआ हूं।

यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी हैं और पूरी सरकार बैठी है, आपकी बातों का पूरी सरकार संज्ञान ले रही है, तो आपको और क्या चाहिये ?

श्री नवाब सिंह नागर (वेल से)-

[xxx]

श्री अध्यक्ष-

किसी का कुछ लिखा नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

सदन में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने तथा संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करने की मुख्य मंत्री द्वारा अपील

*मा0 मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आपने कई बार अनुरोध किया नेता विरोधी दल को कि यह सदन चले और अपनी बात रख लें। चर्चा के लिए सरकार तैयार है, कार्य-मंत्रणा समिति तय कर ले उस दिन चर्चा होगी, हम जवाब देंगे। यह सदन के अन्दर एक दिन या एक घंटा, दो घंटा हो जाय ठीक है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि सदन न चले, तो हमारी सरकार की मजबूरी है कि हमारा सरकारी कामकाज चले लेकिन आप क्यों प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करा रहे हो। आपने आश्वस्त किया था कि समर्थन देंगे, सहयोग करेंगे, तो क्या उसके अनुसार कार्य किया ? आखिर भाजपा के माननीय सदस्यगण चाहते क्या हैं ? सुनना चाहते नहीं हैं, अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं, संसदीय परम्पराओं का कम से कम निर्वहन करना चाहिए। भाजपा अपने को इस सम्बन्ध में साफ सुथरा कहती है, वह आज कहां है ? कहां अनुशासन है ? हम लोगों ने भी किया है, इंगित किया गया, सदन में अपनी बात कह ली, चले गये यह सब तो होता है लोकतंत्र में लेकिन ऐसा कहां है कि बैठे रहेंगे, सुनेंगे नहीं और आप बोलेंगे भी नहीं ? तो फिर अध्यक्ष महोदय, हम सब आपसे प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, माननीय प्रमोद कुमार जी,

---

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश की गरीब जनता का पैसा क्यों बहाया जाय ? सरकारी कामकाज करना नहीं चाहते हैं, तो चले जायें अनिश्चित काल के लिए फिर देखा जायेगा जब शांत हो जायेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आखिर चाहते क्या हैं नेता विरोधी दल ? आप मांग कर रहे हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, जो दोषी होगा, अधिकारी होगा, कोई होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं। आज तक नेता विरोधी दल, जो आपने कहा है, अगर किसी ने खांस दिया और आपने मुझे टेलीफोन भी किया है, तो मैंने स्वीकार किया है उसके बाद बात क्या है, बार-बार हम प्रार्थना कर रहे हैं आप जाइये। यह सही है कि इस मामले में जानकारी हमसे ज्यादा नहीं हो सकती। आपको कभी भी, कमी नहीं हो सकती है, हमने जीवन में भोगा है। लेकिन यह अच्छा नहीं है आप अनुमति दीजिये सरकारी कामकाज करने के लिये। इस तरह से सदन में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बरबाद होगा। ये अपने क्षेत्र में जायं और काम करें।

भारतीय जनता पार्टी सदस्यों द्वारा सदन में गतिरोध उत्पन्न करने पर नेता विरोधी दल द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर सत्ता पक्ष सहित अन्य दलों द्वारा आपत्ति

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह सदन चलना चाहिये।

(श्री लालजी टण्डन के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पहले माननीय सदस्यों को अन्दर कर लें, फिर ये बोलें।

(नेता विरोधी दल के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपके नेता बोलने जा रहे हैं, अब तो आप लोग अपने स्थान पर चले जायें।

श्री प्रमोद कुमार-

नेता विरोधी दल की गरिमा इसी में है कि जब नेता विरोधी दल बोलें तो हम उनको सुन रहे हैं, कम से कम आपकी इतनी इज्जत तो करें। लेकिन आपके ही दल के लोग आपको सुनना नहीं चाहते तो इसका सीधा मतलब यह है कि इनके हृदय में आपके लिये न कोई आदर की भावना है, न कोई आस्था है, आपके दल के लोग आपको सुनना नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं परम्परा की बात कर रहा हूं। आदरणीय टण्डन जी बोलने के लिये खड़े हुये तो मौर्य जी बैठ गये, मैं बैठ गया, पाल साहब बैठ गये।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है बोलने का, तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नियमावली में स्पष्ट है कि जब सदन अव्यवस्थित हो तो सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। नेता विपक्ष के पद की गरिमा की रक्षा के लिये यह जरूरी है कि यह अपने स्थान पर वापस आकर उनकी बात सुनें। इनका अपने नेता में विश्वास नहीं है। जितना समय टण्डन जी बोल

रहे हों, उस समय सदन व्यवस्थित होना चाहिये। अगर यह नहीं अपने स्थान पर जाते हैं, तो मैं समझूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों में इनके प्रति सम्मान नहीं है।

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

मान्यवर, यह सदन साक्षी है, पिछले 3-4 दिनों से, इनका इससे विश्वास हट गया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई प्रेक्षक यहां राज्यपाल दीर्घा में आकर बैठ जाता है, कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है, आज कौन आया है, इससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने यह [x x x] बंद करे। अध्यक्ष जी, ब्लाक प्रमुख की हत्या पर चर्चा कराने को तैयार हैं, आप लोग एक टेलीफोन यहां लगवा लीजिये और एक इधर लगवा लीजिये और आपस में बात कर लीजिये। लेकिन जब नेता विरोधी दल बोलें तो सदन व्यवस्थित हो। अगर यह लोग वेल में रहेंगे तो हम भी इनकी बात नहीं सुनेंगे।

(वेल में बैठे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण नारे लगाने लगे)

श्री प्रमोद कुमार-

यह [xxx] यहां बैठे हैं, हम तो आपसे बेहतर हैं। यह [xxx] यहां बैठे हैं, इनको यहां बैठने का अधिकार नहीं है।

(कांग्रेस के भी सदस्यगण खड़े होकर नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह-

[xxx]

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त हो जायें, यह कुछ लिखा नहीं जायेगा।

(कांग्रेस के सदस्यगण अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री हुकुम सिंह-

यह लोग बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

(भाजपा के सदस्यगण सदन के वेल में बैठे हुये नारेबाजी करते रहे और जोर-जोर से बोलते रहे)

(प्रत्युत्तर में समाजवादी पार्टी के सदस्यगण अपने स्थानों पर रह कर नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शान्त हो जाएं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन की वेल में बैठे नारे लगाते रहे।)

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी के सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर प्रत्युत्तर नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अब शान्ति स्थापित करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि अब नारेबाजी बंद करिये।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने नारे लगाये।)

(वेल में बैठे हुये भाजपा सदस्यों ने नारे लगाये।)

श्री अध्यक्ष-

अब शांति स्थापित करें।

श्री अजीम भाई-

मान्यवर, बाजपेयी जी इसी सदन में भाषण दिया करते थे कि सदन चलाने में एक मिनट में इतना खर्चा आता है, एक दिन में इतना आता है। आज 4 दिन से लगातार इस सदन में उनकी पार्टी के लोगों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सदन को चलाने में एक दिन में कितना खर्च हो रहा है ?

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी सदन अव्यवस्थित है। कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, यह सदन अव्यवस्थित है। मैं सम्मानित सदस्यों से, जो प्रबुद्ध लोग हैं, कितनी बार अनुरोध कर चुका हूं कि आपकी बातों पर, समस्याओं पर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी बात कर ली, हमने भी कह दिया। सारी बातें सदन के संज्ञान में आ गयीं उसके बाद जानबूझकर सदन को अव्यस्थित किये हैं।

(सदन के फ्लोर पर आये हुये सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर वापस जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के अनुरोध की अनसुनी किये जाने पर)

सदन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम की ओर श्री अध्यक्ष का ध्यानाकृष्ट किया जाना

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम 299 (ग) देखें। आप इसका प्रयोग करते हुये चाहें तो सदन को व्यवस्थित बना सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं जानता हूं कि नियमावली का नियम-299(ग) का प्रयोग हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि इनकी आत्मा स्वयं इनको प्रेरणा दे और यह व्यवस्थित हो जाएं।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर।)

भाजपा सदस्यों द्वारा सदन में गतिरोध उत्पन्न करने पर नेता विरोधी दल द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर सत्तापक्ष सहित अन्य दलों द्वारा आपत्ति (क्रमागत)

(शोर गुल के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल बोलना चाहते हैं। आप नेता विरोधी दल को बोलने दीजिये।

(शोर)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री शारदा नन्द अंचल)-

नेता विरोधी दल के प्रति उनके दल के लोगों का विश्वास नहीं रहा है। इसलिये वह त्याग-पत्र दे दें। इस्तीफा देकर उनको हट जाना चाहिये।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल को बोलने दें। उनकी बात सुनें कि वह क्या कहना चाहते हैं ?

(शोर)

(कांग्रेस की ओर से नारे लगाये गये प्रत्युत्तर में भा0ज0पा0 की ओर से भी नारे लगाये गये।)

(शोर)

(घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वेल से नारे लगाते रहे।)

(समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने-अपने आसन से नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

यह किसी का कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

हम तो चाहते हैं सदन चले और यह अपने सदस्यों को वापस बुला लें लेकिन यह तो उठा बैठक लगा रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपने एक दर्जन बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिये बुलाया जब हमने नेता सदन को सुना तो नेता प्रतिपक्ष को भी सुन लिया जाए। प्रमोद कुमार नहीं चाहते हैं कि यह सदन व्यवस्थित रूप से चले। इसीलिये आपके निर्देशों को नहीं मान रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

आप भी तो नहीं मान रहे हैं।

(माननीय सदस्यगण सदन के वेल में बैठकर नारे लगाते रहे)

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, नेता सदन ने सदन को व्यवस्थित करने के लिये अपील की। नेता विरोधी दल से की, माननीय सदस्यों से की। इसके अलावा नेता सदन ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो विपक्ष को बुरी लगे। नेता सदन ने अपील की और पूरा सदन यह चाहता है और खास तौर से सत्ता पक्ष यह चाहता है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले 18 करोड़ लोगों का अहित केवल भारतीय जनता पार्टी के कारण न हो क्योंकि इस सदन के चलते करोड़ों रुपये गरीब जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई का खर्च होता है। बार-बार यह बात हो रही है और आपने भी बैठक में यह तय किया था और विपक्ष के दोनों दलों ने इस बात को मान लिया था कि सदन व्यवस्थित ढंग से चलेगा। यह बात मुख्य रूप से आई थी कि आंप अपनी बात सदन में रख सकें। सरकार को, सदन को, प्रदेश की जनता को, आपके मन की पीड़ा मालूम हो सके कि आप चाहते क्या हैं ? आपकी पीड़ा क्या है ? आपकी शिकायत क्या है ? लेकिन बजाय इसके कि आपकी पीड़ा सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता तक जा सके मात्र बी0जे0पी0 का एक लक्ष्य है कि सदन को अव्यवस्थित रखना। इसीलिये नेता सदन ने अपील की थी। नेता सदन ने बार-बार अपील की थी कि पहले सदन व्यवस्थित हो जाय और बार-बार नेता सदन ने व्यक्तिगत तौर पर, इशारों से, आपके माध्यम से यह अपील की है कि जो सदस्य "वेल आफ दि हाउस" में बैठे हुये हैं वे पहले अपनी-अपनी कुर्सियों पर चले जायं, सदन व्यवस्थित हो जाय, तब कार्यवाही सुचारु रूप से चले और नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखें। लेकिन जो माहौल बना है कि नेता प्रतिपक्ष की बात माननीय सदस्य नहीं मान रहे हैं और विपक्षी दल का सबसे बड़ा दल वेल में बैठा है और नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं मान रहा है फिर ऐसे में जाहिर है कि कोई बात व्यवस्थित नहीं हो सकती है। मैं नेता सदन की यह ख्वाहिश फिर से आप तक पहुंचाते हुये आपसे अपील करता हूं कि जो भी माननीय सदस्य वेल में बैठे हैं अपनी कुर्सियों पर चले जायं और पहले अपने आप को एक व्यवस्थित दल साबित करें। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि आप पक्ष से विपक्ष में पहुंच गये इसके बाद आप जनता की उपेक्षा न करिये। उनकी उम्मीदों पर खरे उतरिये अन्यथा मान्यवर, यह मेरे ख्याल से विधान सभा के इतिहास में एक अछूता दिन है, जब पूरा प्रश्नकाल एक राजनैतिक दल ने नहीं चलने दिया है और आपने सदन को उठाया नहीं है। आप बड़ी शान्ति और धैर्य से बैठे रहे। सदन अव्यवस्थित रहा। 12.20 तक प्रश्नकाल है। हम लोकतंत्र को बहाल रखना चाहते हैं। नेता सदन ने खासतौर से कहा था कि सरकारी काम बहुत कम है, आने वाले दिनों में भी कम है, उचित होगा कि माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिले। यह कानूनी मांग थी कि सदन ज्यादा से ज्यादा चले ताकि सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिल सके। इससे नये सदस्यों की ट्रेनिंग होती है, शासन और प्रशासन चुस्त और दुरुस्त रहता है। इसीलिये मान्यवर, काम कम होने के बावजूद भी यह सोचा गया कि सदन इतने दिन चले।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(सदस्यों के वेल में बैठकर बोलने से घोर व्यवधान)

मान्यवर, प्रश्नकाल का समय समाप्त होने वाला है। 12.20 होने वाले हैं। 12.20 के बाद अब आगे का एजेन्डा ले लेंगे।

(नेता प्रतिपक्ष के बोलने के लिये पुनः खड़े होने पर सत्तापक्ष के कई सदस्य जोर-जोर से बोलने लगे और फ्लोर पर आये सदस्यों को अपने स्थान पर वापस जाने की मांग करने लगे)

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मा0 मैं आक्षेप की बात नहीं कह रहा हूं लेकिन जिस तरह से सदन को अव्यस्थित कह रहे हैं, मैं उसका जवाब देने के लिये खड़ा हो रहा हूं। मान्यवर, यह सदन इस तरह से नहीं चलेगा। यह सदन आपके निर्देश पर चलेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

12.20 हो गया है सदन को व्यवस्थित नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे सामने व्यवस्था है कि कार्यसूची आगे बढ़ायें मेरा नम्र निवेदन है कि आप नेता प्रतिपक्ष को सुन लें।

(व्यवधान)

आप नेता प्रतिपक्ष को सुन लें।

श्री प्रमोद कुमार-

जब तक सदन व्यवस्थित नहीं है, आप सदन कैसे चला सकते हैं अगर वेल में लोग हैं, तो सदन कैसे चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है आगे की कार्यसूची ले लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, आपसे निवेदन है कि अपने सदस्यों को बुलायें ताकि कार्यसूची आगे बढ़ सके।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, जब प्रमोद कुमार जी बोल सकते हैं, तो नेता विरोधी दल क्यों नहीं बोल सकते ?

श्री अध्यक्ष-

अब मैं कार्यसूची आगे बढ़ा रहा हूं। एक घंटा बीस मिनट तक बैठा रहा और आप लोगों से अनुरोध, निवेदन करता रहा। इतने माननीय सदस्यों की भावनाओं को नहीं दबाया गया और कार्यसूची को आगे नहीं बढ़ाया गया अब परम्पराओं को थोड़ा तोड़ने की आवश्यकता है यह लोग नेता प्रतिपक्ष की बात मानने को तैयार नहीं हैं। मजबूरियां हैं ।

(व्यवधान)

मैं नेता प्रतिपक्ष की मजबूरियों को समझता हूं सदन व्यवस्थित नहीं हो रहा है।

श्री प्रमोद कुमार-

सदन व्यवस्थित हो, नेता प्रतिपक्ष बोलें, सब धैयपूर्वक उसको सुनें, लेकिन मान्यवर, आधे सदस्य कुर्सी पर बैठे हैं और आधे सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठे हैं यह किस दल के हैं, जो जमीन पर बैठे हैं और जो कुर्सी पर बैठे हैं, वह किस दल के हैं ? क्या भा0 ज0 पा0 का बंटवारा हो गया है ?

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बाल श्रमिकों की बाल मजदूरी रोकने हेतु कार्य योजना

**1-श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाल श्रमिकों की बाल मजदूरी रोकने हेतु एवं उनके पुनरुत्थान के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बाल श्रमिकों की मजदूरी को रोकने के लिये मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दि0 10-12-96 के अनुपालन में वर्ष 1997 से लगातार बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण और उनको शिक्षा से जोड़ने एवं प्रभावित बाल श्रमिक परिवारों का पुनर्वासन कार्यक्रम लागू है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(1) बाल श्रमिकों का सर्वेक्षणों/निरीक्षणों के माध्यम से चिन्हीकरण।

(2) चिन्हित बाल श्रमिकों का शैक्षिक पुनर्वासन।

(3) बाल श्रमिकों के परिवारों को विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं से लाभान्वित करना।

(4) वर्जित प्रक्रियाओं/व्यवसायों में बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही।

(5) वर्जित प्रक्रियाओं/व्यवसायों में नियोजित बाल श्रमिकों के सापेक्ष्य उनके नियोजकों से क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि की वसूली।

(6) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों के माध्यम से बाल श्रमिकों का शैक्षिक पुनर्वासन।

(7) इण्डस परियोजना के माध्यम से बाल श्रमिकों का चिन्हांकन एवं शैक्षिक पुनर्वासन।

नोट :-[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति दिनांक 1-4-04 से राज्य कर्मचारियों के 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में सम्मिलित किये जाने की जानकारी

श्री रणवीर राणा, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी व श्री रविन्द्र पुण्डीर-

**2-क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1-4-04 से राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मचारियों के 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को उनके मूल वेतन में सम्मिलित किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त आदेश कब तक निर्गत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

राज्य की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस संबंध में यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

*1-श्री श्याम देव राय चौधरी-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध]

तारांकित प्रश्न

तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के गिरते स्तर को देखते हुए निजी क्षेत्रों में पालीटेक्निक कालेज खोले जाने हेतु सरकार द्वारा नई योजना लागू करने की जानकारी

*1-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के गिरते स्तर में सुधार की दृष्टि से निजी क्षेत्रों में पालीटेक्निक कालेज खोले जाने के प्रोत्साहन देने हेतु सरकार कोई नई योजना लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उत्तर प्रदेश राज्य में तकनीकी शिक्षा के प्रसार हेतु सरकारी एवं निजी क्षेत्र में एक वर्षीय, दो वर्षीय तथा तीन वर्षीय डिप्लोमा स्तरीय नवीन पालीटेक्निक संस्थायें खोलने की नीति एवं प्रक्रिया निर्धारित कर इन्हें क्रमशः शासनादेश संख्या-3063/सोलह-प्रा0शि0-3-2003-46(8)/2002, दिनांक 20-12-2003 एवं शासनादेश संख्या-2697/सोलह-प्रा0शि0-3-2003-46(8)/2002, दिनांक 20-12-2003 के द्वारा प्रख्यापित किया जा चुका है। योजना का विस्तृत विवरण उक्त संदर्भित शासनादेशों में अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फ्री-बोरिंग हेतु निर्धारित किये गये मानक

*2-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फ्री-बोरिंग हेतु क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ? प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं लघु सीमान्त किसानों हेतु निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

प्रदेश में बुन्देलखण्ड के 35 विकास खण्डों के अतिरिक्त फ्री-बोरिंग योजना में सामान्य श्रेणी के लघु एवं समीन्त कृषकों जिनके पास 0.5 हेक्टेयर अथवा अधिक भूमि है, के लिए बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा क्रमशः रु0 3,000/- व रु0 4,000/- निर्धारित है तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु/सीमान्त कृषकों हेतु बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा रु0 6,000/- निर्धारित है और बुन्देलखण्ड के 35 विकास खण्डों में समस्त श्रेणी के कृषकों यथा लघु/सीमान्त एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के लिए निःशुल्क बोरिंग की अनुदान सीमा, विकास खण्डवार वास्तविक व्यय अथवा रु0 4500/- से रु0 7000/-, जो भी कम हो, निर्धारित है। जिला सेक्टर संसोधनों से सामान्य श्रेणी के लघु/सीमान्त कृषकों और अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों हेतु निर्धारित अनुदान का व्यय भार वहन करते हुए अवशेष धनराशि का व्यय भार बुन्देलखण्ड विकास निधि से किये जाने की व्यवस्था है।

सामान्य लाभार्थियों की बोरिंग पर बैंकों के माध्यम से ऋण लेकर पम्प सेट की स्थापना अनिवार्य है। पम्पसेट पर लघु कृषकों को लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रुपये 2800/- एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 33.33 प्रतिशत अथवा रु0 3750/- जो भी कम हो, अनुदान देय है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को पम्पसेट स्थापना स्वैच्छिक कर दिया गया है। पम्पसेट स्थापना करने पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रुपये 5650 अनुदान देय है।

जनपदवार निःशुल्क बोरिंग योजना के लक्ष्य जनपद स्तर पर इस कार्य हेतु स्वीकृत परिव्यय पर निर्भर करते हैं, जिसका निर्धारण जनपद स्तरीय समिति से होता है। अतः लक्ष्यों को बढ़ाने के सम्बन्ध में जनपद स्तर से ही परिव्यय संशोधित कर कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में असिंचित कृषि क्षेत्रों के लिए राजकीय नलकूपों की स्थापना करने पर विचार

*3-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में असिंचित कृषि क्षेत्रों यथा बुन्देलखण्ड की भौगोलिक स्थिति के कारण नहरों से पानी पहुचाना संभव नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के छोटे गरीब किसानों के लिये राजकीय नलकूप की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)-

जी हां।

चौ0 चरण सिंह नलकूप योजना के अन्तर्गत विशेष रूप से लघु व सीमान्त कृषकों के लिए 1000 नये नलकूपों के निर्माण की योजना नाबार्ड को वित्त पोषण हेतु प्रेषित कर दी गयी है। इस

योजना के अन्तर्गत उक्त नलकूपों के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों को स्थल चयन एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश पारित किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

*4-श्रीमती विमला राकेश-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में विद्युतीकरण की मांग

*5-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में छात्रों को गर्मी से राहत दिलाने हेतु क्या सरकार प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों को विद्युतीकृत कर स्कूलों में पंखे लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के नगर क्षेत्र में संचालित 5876 प्राथमिक एवं उच्च-प्राथमिक विद्यालयों हेतु विद्युतीकरण का प्रस्ताव वर्ष 2004-05 की कार्य योजना में स्वीकृत हुआ है, जिसके लिए धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त विद्यालयों में विद्युतीकरण की कार्यवाही की जायेगी। स्कूलों में पंखें लगाने की योजना वर्तमान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में निर्यात प्रोत्साहन के लिये उठाये गये कदम

*6-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत चार वर्षों में चमड़ा उद्योग, पीतल उद्योग, तथा साफ्टवेयर के क्षेत्र में कितने-कितने रुपये का निर्यात उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया ? निर्यात प्रोत्साहन के लिये वर्तमान सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राणा)-

विगत चार वर्षों में चमड़ा उद्योग में रुपये 6919.10 करोड़, पीतल उद्योग में रुपये 9617.20 करोड़ तथा साफ्टवेयर के क्षेत्र में रुपये 10595.00 करोड़ का निर्यात उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है।

वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में निर्यात प्रोत्साहन हेतु निर्यातकों को वित्तीय सहायता जैसे-विपणन विकास सहायता और एक्सपोर्ट फ्रेट सहायता प्रदान की जा रही है। विशिष्ट श्रेणी के निर्यातकों को गोल्ड कार्ड/सिल्वर कार्ड भी जारी किये जाते है। निर्यात में वृद्धि हेतु उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत भी किया जाता है।

प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में बी0एड0 प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की मांग

*7-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बी0 एड0 प्रवेश हेतु अलग-अलग परीक्षायें आयोजित की जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रों की सुविधा को दृष्टि में रखकर इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तरह सभी विश्वविद्यालयों में बी0 एड0 प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं, शासन स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आजमगढ़ में बाढ़ से बचाव हेतु बनाई गयी योजना

*8-श्री सुखदेव राजभर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ में इस वर्ष बाढ़ से बचाव के लिये कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी हां।

जनपद-आजमगढ़ में घाघरा एवं टोन्स नदियों के किनारे निर्मित तटबन्ध एवं बाढ़ सुरक्षा के आवश्यक कार्यों की मरम्मत की कार्य योजना लागत रु0 66.80 लाख के अनुसार सभी मरम्मत के कार्य वर्षाकाल से पूर्व करा लिए गये हैं तथा संवेदनशील स्थलों की सतत् निगरानी की जा रही है। इसके अन्तर्गत महुला-गढ़वल बांध, जो कि0 मी0 14.970 (हैदराबाद) पर वर्ष 2003 की बाढ़ में कट गया था, पर रु0 28.30 लाख व्यय कर 125 मीटर लम्बाई में रिटायर बांध का निर्माण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उर्दू अध्यापकों की भर्ती करने की मांग

*9-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिये क्या उर्दू अध्यापकों की भर्ती करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 3000 रिक्त पदों पर उर्दू शिक्षण की प्रवीणता रखने वाले बी0एड0/एल0टी0/वी0पी0एड0/सी0पी0एड0 एवं डी0पी0एड0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को छः मास का विशिष्ट बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण कराकर सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम नदैया रामपुर में विद्यालय भवन बनवाने हेतु पत्र

1-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम नदैया रामपुर में विद्यालय भवन बनवाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 13-10-03 को कोई पत्र जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को दिया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्र संख्या 592 दिनांक 16-10-03 द्वारा उप जिलाधिकारी, तिलहर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी, हां।

जी, हां।

उप जिलाधिकारी, तिलहर के निर्देशानुसार तहसीलदार तिलहर द्वारा जांच की गयी। ग्राम नदैया रामपुर के जूनियर हाई स्कूल हेतु प्रस्तावित भूमि भूलेख नियमावली के नियम-क-155-क के पैरा-9 एवं जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-132 के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की है, जिसे विद्यालय भवन हेतु दिया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला हरदोई के ग्राम मनकापुर और सैहिलामऊ के मध्य में स्थित तालाब से मोहदियापुर तक ड्रेन की सफाई किये जाने की मांग

2-श्रीमती राजरानी रावत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-हरदोई के ग्राम मनकापुर और सैहिलामऊ के मध्य में स्थित तालाब से मोहदियापुर तक के ड्रेन की सफाई कराये जाने हेतु डी0आर0डी0ए0 से धन आवंटन का प्रस्ताव जिला ग्राम विकास अभिकरण हरदोई को दिनांक 6 जून, 1997 को भेजा गया था, परन्तु उक्त ड्रेन की सफाई नहीं कराई गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त ड्रेन की सफाई करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जिला हरदोई के ग्राम मनकापुर और सोहिलामऊ के मध्य स्थित तालाब से मोहिदियापुर तक के क्षेत्र में अटसलिया नामक एक ड्रेन है जिसकी सफाई के लिए वर्ष 1997-98 में डी0आर0डी0ए0 से किसी प्रकार के धन आवंटन का प्रस्ताव खण्ड द्वारा प्रेषित नहीं किया गया और न ही ड्रेन की सफाई करवायी गयी। वर्ष 1998-99 में उ0 प्र0 सोडिक लैण्ड रीक्लेमेशन प्रोजक्ट-फेस-1 के अन्तर्गत इस ड्रेन की पुनर्स्थापना का कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

3-चौ0 बिजेन्द्र सिंह-

[मा0 सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दे दिये जाने के कारण हटाया गया]

निदेशालय महिला कल्याण के कैश चेस्ट का निरीक्षण

4-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या महिला कल्याण मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन माननीय राज्य मंत्री, महिला कल्याण द्वारा दिनांक 9-5-03 को निदेशालय महिला कल्याण के निरीक्षण के समय कैश चेस्ट में नकद धनराशि कम पायी गयी थी ? यदि हां, तो इस वित्तीय अनियमितता के लिए आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कौन सी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मा0 मंत्री जी द्वारा दिनांक 9-5-03 को निरीक्षण के पूर्व कैश चेस्ट से रु0 400/-की धनराशि विधिक कार्यों हेतु संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसका अंकन कैशबुक में तत्काल नहीं किया जा सका था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

5-श्री अरुण कुमार मेहरोत्रा-

[दूसरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

6-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-मेरठ में बुनकर बन्धु की बैठक की सिफारिशों पर कार्यवाही किये जाने संबंधी पत्र

7-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मेरठ में अक्टूबर, 2003 में बुनकर बन्धु की बैठक की सिफारिशों पर कार्यवाही किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-1-03 क्या उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश सिंह राणा-

जी हां।

कृत कार्यवाही की बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है :-

1-जनपद-मेरठ की बुनकर सहकारी समितियों का यूपिका, कानपुर पर बकाया भुगतान के संबंध में ।

यूपिका की आर्थिक स्थिति अत्यन्त जर्जर हो गयी है। फलस्वरूप धनाभाव के कारण मेरठ की बुनकर सहकारी समितियों के देयों का भुगतान किया जाना संभव नहीं हो सका है।

2-बुनकरों को पावरलूम चलाने हेतु विद्युत बिल का फिक्स चार्ज प्रति पावरलूम निर्धारित कराने एवं पुराने बकाया भुगतान को किस्तों में देने के सम्बन्ध में।

फिलहाल इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 के बजट सत्र के दौरान प्रदेश के बुनकरों के विद्युत बिलों में अधिकतम रु0 5,000.00 की सीमा के अन्तर्गत 50% की छूट दिये जाने की घोषणा की गयी है।

3-अपेक्स संस्था/निगम को दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे बुनकरों को दिया जाना

व्यक्तिगत बुनकरों को सीधे सहायता देने का कोई प्राविधान नहीं है। बुनकर राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों के माध्यम से सीधे सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

4-बुनकरों को एक्साइज से मुक्त कच्चा माल धागा इत्यादि सीधे उपलब्ध कराने के संबंध में

प्रदेश में बुनकरों को भारत सरकार द्वारा संचालित मिलगेट प्राइस स्कीम के अन्तर्गत एन0एच0डी0सी0 के माध्यम से एक्साइज ड्यूटी मुक्त सूत बुनकर समितियों/शीर्ष समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

5-बुनकरों को सस्ते दर पर ऋण दिलाये जाने विषयक

इस प्रकार की योजना प्रचलित है।

6-हथकरघा विभाग द्वारा संचालित बुनकरों के कल्याणार्थ बुनकर बहबूदी फण्ड की राशि की वृद्धि पर विचार

उ0 प्र0 बुनकर बहबूदी फण्ड योजना का क्रियान्वयन बहबूदी फण्ड में विनियोजित राशि के अर्जित ब्याज से किया जाता है। वर्तमान में बैंकों की ब्याज दरों में निरन्तर कमी के कारण फण्ड में अभिवृद्धि नहीं हो पा रही है।

7-बुनकरों के प्रतिनिधित्व विषयक

बुनकरों की विभिन्न समस्याओं के समाधान करने हेतु बुनकर बन्धु का गठन किया गया है, जिसमें बुनकरों का प्रतिनिधित्व पूर्व से ही है।

8-जूट सेण्टर मेरठ में खोलने पर विचार

हथकरघा विभाग में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

9-वेयर हाऊस खोलने पर विचार

हथकरघा विभाग में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

10-हैण्डलूम एक्सपोर्ट हाऊस खोलने पर विचार

हथकरघा विभाग में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

11-बुनकर हाट स्थापित करने के सम्बन्ध में

हथकरघा विभाग के अन्तर्गत मेरठ में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद-जालौन की तहसील-कालपी के विकास खण्ड कदौरा के ग्राम हरचन्दपुर तथा ग्राम मदारालालपुर के जूनियर हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

8-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जालौन की तहसील-कालपी के विकास खण्ड कदौरा के ग्राम हरचन्दपुर तथा ग्राम मदारालालपुर के जूनियर हाई स्कूल अभी भी निर्माणाधीन हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त निर्माणाधीन जूनियर हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालय भवन पूर्ण कराये जा चुके हैं।

जनपद-जालौन के गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के लम्बित प्रकरण

9-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कालपी जनपद जालौन के गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 1-1-86 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के पेंशन संशोधन का प्रकरण लम्बित हैं ? क्या यह सही है कि इस प्रकरण में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-11-02 पर जिलाधिकारी जालौन का पत्रांक 17/64/आशु0अ0जि0 दिनांक 20-12-02 तथा पत्रांक 1872 दिनांक 18-1-03 एवं उप शिक्षा निदेशक, झांसी का पत्रांक 446 दिनांक 14-5-03 सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उन पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस प्रकरण का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद-जालौन के गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के दिनांक 1-1-86 से पूर्व सेवानिवृत्त समस्त शिक्षकों के पेंशन संशोधन का प्रकरण निस्तारित किया जा चुका है।

10-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा

[1ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0- 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों/संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग का लाभ दिये जाने सम्बन्धी पत्र

11-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री देव प्रकाश आर्य, उ0प्र0 संस्कृत शिक्षा समिति, लखनऊ द्वारा माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों/संस्कृत महाविद्यालयों को पंचम वेतन आयोग का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में रजि0 पत्र दिनांक 14-10-03 या इसके आस पास उन्हें भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

यद्यपि सन्दर्भगत पत्र उपलब्ध नहीं है, परन्तु उ0 प्र0 के माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के समतुल्य वेतनमान की स्वीकृत शासनादेश सं0-305 सं0/15-9-2004-/25(12) 04 टी0सी0-1, दिनांक 27 मई, 2004 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण निदेशालय उ0 प्र0 में अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के रिक्त पदों पर नियुक्तियों की मांग

12-श्रीमती विमला राकेश-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महिला कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश में अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के कितने पद सृजित हैं ? उनमें कितने रिक्त हैं ? क्या उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

निदेशालय महिला कल्याण उ0 प्र0 में संयुक्त निदेशक का केवल एक पद सृजित है।

सम्प्रति इस पद के सापेक्ष नियुक्ति विभाग द्वारा अपर निदेशक पद के अनुमन्य वेतनमान में कार्यरत अधिकारी तैनात है।

उक्त के अतिरिक्त संयुक्त निदेशक (उ0 प्र0 सिविल सेवा संवर्ग) का एक पद शासनादेश सं0-1144/60-3-99 (132)/99, दिनांक 1-9-1999 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के वृन्दावन क्षेत्र के सीमान्त महिलाओं के पुनवार्सन योजना के संचालन हेतु स्वीकृत है जो सम्प्रति रिक्त है और इस पद के सापेक्ष जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा जनपद में तैनात अधिकारियों से कार्य लिया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय महिला कल्याण में तैनात आशुलिपिक राकेश पाण्डेय तथा वरिष्ठ शोध अधिकारियों के विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षर करने संबंधी पत्र की जांच

13-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री समरपाल सिंह, स0 वि0 स0 का पत्र दिनांक 14-11-03 जो निदेशालय महिला कल्याण में तैनात आशुलिपिक राकेश पाण्डेय तथा वरिष्ठ शोध अधिकारियों के विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षर करने के संबंध में है, प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

संदर्भगत पत्र प्राप्त होने से पूर्व ही शासन द्वारा जांच के लिए आदेश दिनांक 30-9-03 को निर्गत किए जा चुके थे। इस संबंध में विभिन्न स्रोतों से भी समय-समय पर गंभीर शिकायतें शासन को प्राप्त होती रहीं। अतः यह समीचीन पाया गया कि तथ्यों के आधार पर एक समिति से जांच करा ली जाय। अतः मा0 विधायक के पत्र दिनांक 14-11-03 को संज्ञान में लेते हुए जांच कार्यवाही पूर्ण की गई। जांच आख्या शासन में परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

राजकीय बाल गृह (शिशु) सीतापुर के कर्मचारियों को वेतन भुगतान न किये जाने संबंधी पत्र

14-श्रीमती विमला राकेश-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी, सीतापुर को सम्बोधित श्री प्रताप चौधरी, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 03 जो राजकीय बाल गृह (शिशु) सीतापुर के कर्मचारियों को नवम्बर, 03 से वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में हैं, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जिलाधिकारी कार्यालय में संदर्भित पत्र उपलब्ध होना नहीं पाया गया परन्तु तत्कालीन राजकीय बाल गृह (शिशु), सीतापुर के कर्मचारियों को माह नवम्बर, 2003 से वेतन भुगतान पूर्व में किया जा चुका है।

जनपद-सीतापुर में संचालित राजकीय बाल गृह (शिशु) के कर्मचारियों को पुनः तैनात करने की मांग

15-श्रीमती विमला राकेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में संचालित राजकीय बाल गृह (शिशु) के कई कर्मचारियों को जिला प्रोबेशन कार्यालय से सम्बद्ध करने के कारण उक्त संस्था को कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्बद्धीकरण को समाप्त कर कर्मचारियों को संस्था में पुनः तैनात करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

शासनादेश संख्या-574/60-1-2004-1/13 (103)/03 दिनांक 11 फरवरी, 2004 के अन्तर्गत राजकीय बाल गृह (शिशु) सीतापुर का संवीलीकरण राजकीय बाल गृह (शिशु) लखनऊ में हो गया है तथा इस संस्था के कर्मचारियों को रिडिप्लायमेंट करते हुए अन्य संस्थाओं/कार्यालयों में तैनात कर दिया गया है। वर्तमान में कोई भी कर्मचारी जिला प्रोबेशन कार्यालय सीतापुर से सम्बद्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद की इण्टरमीडिएट परीक्षा में लालबाग गर्ल्स कालेज, लखनऊ की छात्राओं के स्कूटनी हेतु आवेदन-पत्रों के परिणाम की जानकारी

16-श्रीमती विमला राकेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद की इण्टरमीडिएट परीक्षा 2001-2002 की परीक्षा से संबंधित स्कूटनी हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों को निस्तारित कर परिणाम घोषित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो लालबाग गर्ल्स कालेज, लखनऊ की छात्राओं के स्कूटनी हेतु आवेदन-पत्रों के परिणाम न प्राप्त होने के क्या कारण हैं ?

मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

क्यों कि प्रश्नगत विद्यालय के समस्त छात्राओं की स्कूटनी के परिणाम सूचित कर दिये गये हैं।

शिक्षा मित्र के पद पर चयनित श्री मनोज कुमार ग्राम मदारालालपुर, वि0खं0 कठौरा को कार्यावधि का मानदेय देने के संदर्भ में पत्र पर कृत कार्यवाही

17-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन, उरई के पत्रांक 816/2002-03, दिनांक 5-7-02 के द्वारा मनोज कुमार पुत्र गोरे लाल ग्राम मदारालालपुर, वि0 खं0 कठौरा का चयन शिक्षा मित्र के पद पर किया गया था ? क्या यह सही है कि प्राथमिक विद्यालय मदरालालपुर में कार्यरत मनोज कुमार को 17-8-02 से दिसम्बर, 2003 तक मानदेय देने के संदर्भ में बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-1-04 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

श्री मनोज कुमार द्वारा किये गये कार्यावधि का मानदेय चेक संख्या-109402 दिनांक 28-2-04 द्वारा अध्यक्ष/सचिव ग्राम शिक्षा समिति के खाता संख्या-7337 में भेज दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में राजकीय बाल गृह शिशु में तैनात श्रीमती जुवेदा खातून (आया) के शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्रों की जांच

18-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2004 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-17 के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शैक्षिक प्रमाण-पत्र के मामले की जांच करा ली गयी है, यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ? क्या दोषी के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 पंजीकृत करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, जांच प्रचलित है।

जांच परिणाम प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

19-श्री मो0 इरशाद खां-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सीतापुर में जिला प्रोबेशन कार्यालय में लिपिकों के सृजित पद

20-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में जिला प्रोबेशन कार्यालय में कितने लिपिकों के पद सृजित हैं तथा इस समय कितने लिपिक तैनात हैं ? क्या यह सही है कि वहां पर सृजित पदों से अधिक लिपिक तैनात हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सृजित पदों से अधिक तैनात लिपिकों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जिला प्रोबेशन कार्यालय सीतापुर में केवल एक लिपिक (कनिष्ठ) पद सृजित है जिसके सापेक्ष्य 01 लिपिक (कनिष्ठ) ही तैनात हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत ग्राम सभा मेवापुर में राजकीय नलकूप लगवाने की मांग

21-श्री योगेन्द्र कुमार-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत ग्राम सभा मेवापुर मुतालके देवगांव में राजकीय नलकूप न होने के कारण हजारों एकड़ भूमि असिंचित रह जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों की आवश्यकताओं को देखते हुए उक्त ग्राम सभा में एक राजकीय नलकूप लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जनपद फैजाबाद तहसील मिल्कीपुर विकास खण्ड अमानीगंज (खण्डासा) के अन्तर्गत ग्राम सभा मेवापुर मुताल के देवगांव में दो राजकीय नलकूप संख्या-167 बी0जी0 व 168 बी0 जी0 है, जो कार्यशील है फिर भी देवगांव में लगभग 1000 एकड़ भूमि असिंचित है, जिसमें से लगभग 500 एकड़ भूमि ऊसर एवं ऊंची नीची है, शेष लगभग 500 एकड़ भूमि कृषि योग्य है।

चौ0 चरण सिंह नलकूप योजना के अन्तर्गत 1000 नये नलकूपों के निर्माण की योजना नाबार्ड को वित्त पोषण हेतु प्रेषित कर दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत उक्त नलकूपों के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों को स्थल चयन एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश पारित किये जा चुके हैं।

जनपद हरदोई की क्षेत्र पंचायत सण्डीला में प्राथमिक पाठशाला पहतोइया के भवन तथा उसमें लगी भूमि पर अनधिकृत कब्जे हटवाये जाने की मांग

22-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के क्षेत्र पंचायत सण्डीला में प्राथमिक पाठशाला पहतोइया के भवन तथा उससे लगी भूमि पर उसी ग्राम के निवासी पोखई पुत्र फकीरे लोध द्वारा अनधिकृत कब्जा करके जानवर बांधने तथा अन्य उपयोग में लेकर गन्दगी फैलायी जा रही है जिससे विद्यार्थियों को घोर कठिनाइयां हो रही हैं ? क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण की ग्राम प्रधान द्वारा तथा अन्य नागरिकों के हस्ताक्षर सहित शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, हरदोई को नवम्बर, 2003 में भेजा गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त कब्जा हटवाकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सण्डीला से जांच कराने पर यह पाया गया कि विद्यालय प्रांगण में स्थित खाली भूमि पर किसी का कब्जा नहीं है और न ही आस-पास किसी प्रकार की गन्दगी है और न ही जानवर बांधे जाते हैं। पोखई पुत्र फकीरे का मकान विद्यालय के पास आबादी की भूमि पर बना हुआ है।

प्रश्नगत पत्र बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय में उपलब्ध नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

संयुक्त निदेशक, शिक्षा बरेली मण्डल द्वारा की गयी अवैध नियुक्तियों की जांच

23-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र सं0-सी0 एम0-/वि0को0/एम-/89787/2003 दिनांक 13-11-03 जो संयुक्त निदेशक, शिक्षा, बरेली मण्डल द्वारा की गयी अवैध नियुक्तियों की जांच कराए जाने विषयक है, प्रमुख सचिव/सचिव शिक्षा, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0 प्र0 लखनऊ को जांच हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय महिला कल्याण उ0 प्र0 में अपर निदेशक की तैनाती को समाप्त करने की मांग

24-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय महिला कल्याण उ0 प्र0 में क्या अपर निदेशक का पद सृजित है ? यदि नहीं, तो निदेशालय में अपर निदेशक की तैनाती करने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार अपर निदेशक की तैनाती को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत पद पर तैनाती नियुक्ति विभाग द्वारा पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारी की अपर निदेशक के रूप में की गयी है। स्थिति से नियुक्ति विभाग को अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में विधवा पेंशन हेतु लम्बित आवेदन-पत्र

25-श्रीमती विमला राकेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक विधवा पेंशन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? प्राप्त आवेदन पत्रों पर कितनी विधवाओं को पेंशन स्वीकृत की गयी तथा कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं ? क्या लम्बित आवेदन पत्रों पर पेंशन स्वीकृत की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद सीतापुर में 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक कुल 1325 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

प्राप्त आवेदन-पत्रों में से 68 लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है शेष 1257 आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

वर्तमान वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वचनबद्ध लाभार्थियों में से मृतक/अपात्र/पलायन या पुनर्विवाह की स्थिति में उनके स्थान पर नियमानुसार लम्बित प्रार्थना-पत्रों पर पेंशन स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद सीतापुर में जीर्ण-शीर्ण राजकीय बाल गृह भवन की मरम्मत की मांग

26-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में राजकीय बालगृह भवन जीर्ण-शीर्ण हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, क्योंकि राजाज्ञा संख्या-574/60-1-2004-1/13(103)/03, दिनांक 11 फरवरी, 2004 द्वारा राजकीय बाल गृह (शिशु) सीतापुर की संस्था बाल गृह (शिशु) लखनऊ में संवीलीकृत कर दिया गया है। फलस्वरूप वर्तमान में जनपद सीतापुर राजकीय बाल गृह (शिशु) नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम निगोही में श्री चांद खां द्वारा किया गया अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

27-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चांद नगर विकास खण्ड निगोही जनपद शाहजहांपुर के निवासियों को भूमि से बेदखल न करने विषयक मा0 मुख्यमंत्री का पत्र संख्या सी0एम0/ वि0 को0/एम-94682/2004 दिनांक 4-2-04 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उस आदेश का अनुपालन प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी हां।

जी हां। प्रकरण की जांच करायी गयी। जांचोपरान्त यह पाया गया है कि श्री चांद खां व अन्य द्वारा ग्राम निगोही जनपद शाहजहांपुर स्थित सिंचाई विभाग की भूमि गाटा संख्या-960 पर विगत कई वर्षों से कब्जा किया गया है, जिसे हटाने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में लम्बित विधवा पेंशन आवेदन-पत्रों को निस्तारित करने की मांग

28-श्री रविन्द्र पुण्डीर तथा श्रीमती विमला राकेश-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में 31-3-04 तक कितनी महिलाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है ? क्या यह सही है कि बड़ी संख्या में लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण न करके लाभार्थियों को लाभ से वंचित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद मुजफ्फरनगर में 31-3-2004 तक कुल 10337 महिलाओं को उक्त पेंशन दी जा रही है।

जी नहीं। वर्तमान में जनपद में 1500 नवीन आवेदन-पत्र स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं। वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत केवल वचनबद्ध लाभार्थियों में से मृतक/अपात्र/पलायन या पुनर्विवाह की स्थिति में ही उनके स्थान पर नियमानुसार लम्बित आवेदन-पत्रों में से पेंशन स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही की जानी हैं।

29-चौ0 विजेन्द्र सिंह-

[मा0 सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दे दिये जाने के कारण हटाया गया]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के तीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

30-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ के तीन विद्यालयों को धारा 9(4) के अधीन मान्यता प्रदान किये जाने हेतु उनका आदेश संख्या-सी0 एम0/वि0को0/एम0/90101/03 दिनांक 17-11-03, प्रमुख सचिव, शिक्षा को भेजा गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

1-भारत सिंह उ0 मा0 विद्यालय कुम्हिया पट्टी प्रतापगढ़ की आख्या अपर सचिव, मा0 शिक्षा परिषद् के पत्र दिनांक 13-1-2004 के माध्यम से प्राप्त हुयी थी, किन्तु विद्यालय परीक्षाफल उपलब्ध न होने, निर्धारित माप के 5 कक्षों की कमी होने के कारण तत्समय मान्यता नहीं दी जा सकी। शासन के पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 2003 तथा 17 मार्च, 2004 के माध्यम से कमियां पूर्ण कराकर आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में अपर सचिव, मा0 शिक्षा परिषद् के पत्र दिनांक 9-7-2004 के माध्यम से आख्या प्राप्त हुयी है। उक्त आख्या में भूमि से आय का विवरण उपलब्ध कराया गया है, जबकि परिषद् की विज्ञप्ति दिनांक 26 सितम्बर, 2002 के अनुसार प्राभूत कोष धनराशि के रूप में दी जानी चाहिए। इस प्रकार प्रस्ताव पूर्ण नहीं है। प्राभूत धनराशि के रूप में प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।

2-मोती सिंह इण्टर कालेज सराय भिखारी किलाई पट्टी प्रतापगढ़ के संबंध में दिनांक 20-9-2003 के माध्यम से अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की आख्या प्राप्त हुयी थी जिसमें परीक्षाफल न होने निर्धारित माप के 02 कक्ष 8 प्रयोगशाला, कम्प्यूटर से संबंधित सामग्री उपलब्ध न होने एवं प्राभूत कोष तथा सुरक्षित कोष जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम बंधक न होने, क्रीड़ा स्थल के संबंध में आख्या उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत विद्यालय को मान्यता नहीं दी गयी है।

3-सेठ धनीराम उ0 मा0 विद्यालय सैफाबाद, प्रतापगढ़ की मान्यता के संबंध में कोई प्रस्ताव मा0 शिक्षा परिषद् के माध्यम से शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में शासन के पत्र दिनांक 2-4-2004 के माध्यम से क्षेत्रीय सचिव, मा0 शिक्षा परिषद् से आख्या मांगी गयी है।

उक्त के संबंध में मा0 सदस्य का स्थिति से शासन के अर्द्धशा0प0 संख्या-3386/15-7-04-7(4)/2004 दिनांक 11-6-2004 के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या डिग्री कालेज दिढुई पट्टी में विज्ञान संकाय की स्थापना की मांग

31-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या डिग्री कालेज दिढुई पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ में विज्ञान संकाय की स्वीकृत हेतु मा0 मुख्यमंत्री का आदेश पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0को0/एम0/88737/03 दिनांक 28-10-03, क्या प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2003-04 के आय-व्ययक में "04 वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन तथा नये विषयों एवं संकायों का समावेश" योजना में अतिरिक्त धन की व्यवस्था उपलब्ध न होने तथा नयी मांग का समय व्यतीत हो जाने के कारण तथा उक्त समय शिक्षण सत्र काफी आगे निकल जाने की परिस्थितियों के आलोक में प्रश्नगत महिला महाविद्यालय से विज्ञान संकाय की स्थापना किया जाना संभव नहीं हो सका।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के मोती सिंह इण्टर कालेज, सराय भिखारी एवं अन्य कई विद्यालयों को स्वकेन्द्र बनाये जाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

32-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के मोती सिंह इन्टर कालेज, सराय भिखारी एवं जनपद-प्रतापगढ़ के अन्य कई विद्यालयों को स्वकेन्द्र बनाये जाने एवं श्री भारत सिंह कन्या इन्टर कालेज, पट्टी प्रतापगढ़ को 9(4) की मान्यता दिये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के कई पत्र मार्च, 2002 से अब तक प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जयनाथ मानव इण्टर कालेज, बैजलपुर अमरगढ़ प्रतापगढ़ में लिपिक पद सृजन विषयक पत्र

33-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के जयनाथ मानव इण्टर कालेज, बैजलपुर अमरगढ़ प्रतापगढ़ में लिपिक पद सृजन विषयक उनके आदेश संख्या-सी0 एम0/वि0को0/एम0/89112/03 दिनांक 1-11-03, प्रमुख सचिव, शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत विद्यालय दिसम्बर, 1975 में हाई स्कूल स्तर तक अनुदान सूची पर लिया गया है। नियमानुसार हाई स्कूल स्तर तक लिपिक के एक ही पद की देयता बनती है जिसके सापेक्ष विद्यालय में लिपिक का एक पद सृजित है। अतः लिपिक के अन्य पद सृजन का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राइमरी पाठशाला कटरौली सोहावल, जनपद फैजाबाद में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकायें व उनका निवास स्थान

34-श्रीमती सुखदेवी वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राइमरी पाठशाला कटरौली सोहावल, जनपद-फैजाबाद में कितने अध्यापक/अध्यापिकायें कार्यरत हैं एवं उनके आवास कहां पर हैं ? क्या यह सही है कि जनपद से बाहर आवास/निवास होने के कारण अत्यधिक अध्यापक/अध्यापिकायें प्रतिदिन पाठशाला नहीं आते हैं ? जिससे शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है ? क्या यह भी सही है कि पाठशाला में बच्चों को दिया जाने वाला पौष्टिक आहार व छात्रवृत्ति का वितरण न कर अनियमिततायें की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी अध्यापक/अध्यापिकाओं को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

संदर्भित विद्यालय में कुल तीन शिक्षक कार्यरत हैं, ये सभी जनपद-फैजाबाद के निवासी हैं।

जी नहीं।

जी नहीं। विद्यालय में सत्र, 2003-04 में अनुसूचित, पिछड़ी जाति एव अल्पसंख्यकों के बच्चों में छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण धनराशि का वितरण कर दिया गया है। जुलाई, नवम्बर, 2003 तथा मार्च व अप्रैल, 04 का खाद्यान्न उठान न होने के कारण उक्त महीने का पोषाहार वितरण नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण के समय भी अध्यापक/अध्यापिकायें उपस्थित एवं कार्य में संलग्न पाये गये तथा अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु आवंटित धनराशि एवं पोषाहार के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी।

महिला कल्याण विभाग में क्रेयर टेकरों की सेवा नियमावली प्रख्यापित करने की मांग

35-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण विभाग में केयर टेकरों की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

कार्यवाही विचाराधीन है।

महिला कल्याण निदेशालय में पर्यवेक्षक के पद सृजित करने की मांग

36-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि महिला कल्याण निदेशालय में पर्यवेक्षक के पद सृजित हैं ? यदि नहीं, तो क्या पर्यवेक्षकों को महिला कल्याण निदेशालय में तैनात किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उन्हें अपने मूल पद पर भेजा जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विद्यालय ग्रीसवल ग्रन्ट विकास क्षेत्र संदना, जनपद सीतापुर के अमर सिंह सहायक अध्यापक के देयकों का भुगतान करने की मांग

37-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अमर सिंह सहायक अध्यापक पूर्व नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय ग्रीसवल ग्रन्ट विकास क्षेत्र संदना जनपद सीतापुर का बोनस, वर्ष 1997-98 का महंगाई अवशेष तथा बीमाराशि फरवरी, 96 से जनवरी, 2000 तक का अवशेष का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? इसमें विलम्ब हेतु कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां। बोनस संबंधी देयक का भुगतान चेक संख्या-46864/01 दिनांक 22-8-2001 द्वारा तथा मंहगाई भत्ता अवशेष एवं बीमा कटौती की वापसी संबंधी देयकों का भुगतान चेक संख्या-ए0एम0 136200 दिनांक 15-7-2004 द्वारा कर दिया गया है।

कोई नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अवशेष देयकों का भुगतान किया जा चुका है।

महिला कल्याण विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

38-श्रीमती विमला राकेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि महिला कल्याण विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची अभी तक नहीं बनाई गई है जिसके कारण वरिष्ठता विवाद बने रहते हैं ? यदि हां, तो उक्त वरिष्ठता सूची कब तक बना दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, दिनांक 30 अगस्त, 1997 द्वारा मुख्यालय स्तर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रख्यापित की जा चुकी है तथा जनपद स्तर के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की वरिष्ठता सूची बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

31 अक्टूबर, 2004 तक वरिष्ठता सूची बना दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगणों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नत करने की मांग

39-श्रीमती विमला राकेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति विषयक शासनादेश के अनुपालन में क्या महिला कल्याण विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण, जो अर्हता पूर्ण करते हैं, को तृतीय श्रेणी में पदोन्नति की गई है, यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पदोन्नति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

ज्येष्ठता निर्धारण की कार्यवाही प्रचलित है।

ज्येष्ठता निर्धारण के पश्चात पदोन्नति पर विचार किया जायेगा।

अन्तिम ज्येष्ठता निर्धारण के पश्चात पदोन्नति पर विचार किया जायेगा।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सभा ठनेपुर गोपापुर स्थित प्राइमरी विद्यालय के पुराने भवन पर अवैध कब्जा हटवाये जाने की मांग

40-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सभा ठनेपुर गोपापुर तहसील पट्टी स्थित ठनेपुर गोपापुर के प्राइमरी विद्यालय के पुराने भवन तथा परिसर की सरकारी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके सरकारी भवन में निजी विद्यालय चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध कब्जा हटाया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

कुछ लोगों द्वारा पुराने भवन में अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे संज्ञान में आते ही स्थानीय प्रशासन की सहायता से अवैध कब्जा समाप्त करा दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में अवैध कब्जा समाप्त करा दिया गया है।

प्रदेश में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/राजकीय उ0 मा0 विद्यालय खोले जाने की नीति

41-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/राजकीय उ0 मा0 विद्यालय खोले जाने हेतु शासन की वर्तमान नीति क्या है ? प्रदेश में वर्ष 2001 से 15 अप्रैल, 2004 तक उपरोक्त हेतु कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/राजकीय उ0 मा0 विद्यालय खोले जाने की नीति वर्तमान में समाप्त है, क्योंकि विगत कई वर्षों से इस मद में आय-व्ययक में कोई बजट प्राविधान नहीं है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

महिला कल्याण निदेशालय में शोध सहायक के सृजित पद एवं नियुक्ति

42-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला कल्याण निदेशालय में कितने शोध सहायक के पद सृजित हैं ? क्या सृजित पदों पर निर्धारित अर्हता के अनुसार नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

एक।

जी हां।

यह पद पदधारक सहित समाज कल्याण विभाग से योजनाओं के हस्तान्तरण के साथ वर्ष 1996 में उपलब्ध हुआ है। इस पद पर समाज कल्याण विभाग से प्राप्त श्री सतीश श्रीवास्तव शोध सहायक कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अधीक्षिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्तियों की मांग

43-श्रीमती विमला राकेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधीक्षिकाओं के पद रिक्त होने के कारण संस्थाओं का कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर अधीक्षिकाओं की नियुक्तियां करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। जहां पद रिक्त है वहां प्रभारी सहायक अधीक्षक/सहायक अधीक्षका से कार्य सम्पादित कराया जा रहा हैं।

आवश्यकतानुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में संचालित राजकीय बाल गृह शिशु में आया के पद पर तैनात श्रीमती जुबैदा खातून का निलम्बन तथा तैनाती

44-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद सीतापुर में संचालित राजकीय बाल गृह शिशु में आया के पद पर तैनात श्रीमती जुबैदा खातून अपराध संख्या-80/99 धारा 302 आई0पी0सी0 में 7 मार्च से 24 मार्च, 2004 तक जेल में निरुद्ध थीं। क्या यह सही है कि जुबैदा खातून को विभाग द्वारा निलम्बित करके जनपद सीतापुर में सम्बद्ध किया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या यह भी सही है कि श्रीमती जुबैदा खातून को निदेशालय में कार्यभार ग्रहण करा लिया गया है ? यदि हां, तो

किन नियमों के आधार पर ? क्या इन्हें जनपद सीतापुर से कार्यमुक्त कर दिया गया था ? यदि नहीं, तो निदेशालय में कार्यभार ग्रहण कराने का क्या औचित्य है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। दिनांक 17-3-04 से 24-3-04 तक जिला कारागार लखनऊ में निरुद्ध रहीं।

श्रीमती जुबैदा खातून, आया दिनांक 17 मार्च, 2004 से 24 मार्च, 2004 तक अर्थात् कारागार में निरुद्ध रहने की अवधि तक निलम्बित रहीं। इन्हें जनपद सीतापुर में कहीं सम्बद्ध नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय महिला कल्याण में तैनात आशुलिपिक श्री राकेश पाण्डेय के विरुद्ध शिकायतों की जांच

45-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि निदेशालय महिला कल्याण में तैनात आशुलिपिक के पद पर श्री राकेश पाण्डेय के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि शिकायतों के सम्बन्ध में सदस्य विधान सभा माननीय श्री रामजी शुक्ल का आपको सम्बोधित पत्र दिनांक 26-09-2003 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री रामजी शुक्ल सदस्य विधान सभा द्वारा उक्त पत्र 26-09-2003 में अपने फर्जी हस्ताक्षर होने की जांच कराये जाने की मांग अपने पत्र दिनांक 01-02-04 में की है ? यदि हां, तो क्या पत्र दिनांक 26-09-03 के हस्ताक्षर की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ? क्या फर्जी हस्ताक्षर करने वाले के विरुद्ध एफ0आई0आर0 पंजीकृत करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

संदर्भगत पत्र प्राप्त होने से पूर्व ही शासन द्वारा जांच के लिए आदेश दि0 14-10-03 को निर्गत किये जा चुके थे। इस सम्बन्ध में विभिन्न श्रोतों से भी समय-समय पर गम्भीर शिकायतें शासन को प्राप्त होती रही। अतः यह समीचीन पाया गया कि तथ्यों के आधार पर एक समिति से जांच करा ली जाय। अतः मा0 विधायक के पत्र को संज्ञान में लेते हुये जांच कार्यवाही पूर्ण की गई। जांच आख्या शासन में परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

निदेशक महिला कल्याण उ0 प्र0 को श्रीमती मंजू देवी बाल सेविका की नियुक्ति में की गयी अनियमितताओं की जांच कराने एवं जांच के परिणाम की जानकारी

46-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप सचिव महिला कल्याण अनुभाग-एक के पत्र संख्या-एम0 एम0-154/ 60-1-03/14 (82)/03 दिनांक 03 सितम्बर, 2003 निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश को श्रीमती मंजू देवी बाल सेविका की नियुक्ति में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र की जांच करायी गई ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। उप सचिव, उ0प्र0 शासन, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 का पत्र सं0 एम0एम0-154/60-1-03-1/14(82)/03, दिनांक 03 सितम्बर, 2003 नहीं, अपितु उक्त पत्रांक दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 निदेशक महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है।

जी हां। उक्त पत्र के साथ संलग्न प्राप्त मा0 श्री सतीश महाना, विधायक, कानपुर के पत्र दिनांक 7-12-03 में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई गई।

जांच आख्या के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक, महिला कल्याण को निर्देशित किया गया है कि वे श्रीमती मंजू देवी को सेवा-समाप्ति का नोटिस जारी कर इस मामले में 15 दिन के अन्दर निर्णय लेकर अवगत करायें।

प्रश्न नहीं उठता।

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग में संविदा के आधार पर रखे गये कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने का आधार

47-डा0 विनोद तिवारी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2004 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग में संविदा के आधार पर रखे गये कर्मियों को किस आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य कराया गया ? क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0-1-6-97-का-4-1998 दि0 11 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-2 में यह प्राविधान है कि स्वायत्तशासी निकायों/निगमों/उपक्रम में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले कर्मियों को उनकी योग्यता के आधार पर नियत वेतन पर एक निश्चित अवधि के लिए संविदा के आधार पर तैनात किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या नियमों के विपरीत कार्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, अम्बेडकर ग्राम्य विकास, समग्र विकास मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

जिस संस्था से संविदा पर लिये गये हैं, उसके द्वारा दिये गये पुनरीक्षित वेतन प्रमाण-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2001 के आधार पर।

जी नहीं किसी विशिष्ट ज्ञान रखने वाले कर्मियों को रखने की बाध्यता की व्यवस्था नहीं है अपितु जिस शासकीय विभाग में संविदा पर रखे जाते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुरूप रखे जाते हैं।

स्वायत्तशासी निकायों/निगमों/उपक्रमों के कर्मियों को शासकीय विभागों में संविदा पर रखने का प्राविधान है और उसी के क्रम में 1999 से 2001 तक विभिन्न तिथियों में संविदा पर रखा गया है।

अन्तिम बार मई, 2001 में संविदा पर रखे गये हैं और वही लोग चल रहे हैं।

किसी संगत नियम के उल्लंघन का कोई बिन्दु नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

48-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

निदेशालय महिला कल्याण में तैनात कनिष्ठ लिपिकों की सेवा पुस्तिका एवं भविष्य निधि गायब होने की जांच

49-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निदेशालय महिला कल्याण में तैनात कितने कनिष्ठ लिपिकों की सेवा पुस्तिका एवं भविष्य निधि पुस्तिका गायब होने के मामले वर्ष अप्रैल, 1997 से अप्रैल, 04 के मध्य प्रकाश में आये हैं ? इस हेतु कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया ? क्या यह भी बतायेंगे कि उनमें से कितने कनिष्ठ लिपिकों ने जी0पी0एफ0 अग्रिम लिया है ? जी0पी0एफ0 पुस्तिका के अभाव में अग्रिम की स्वीकृति किस प्रकार की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

दो कनिष्ठ लिपिकों की सेवा पुस्तिका तथा एक की जी0पी0एफ0 पासबुक गायब होने का मामला प्रकाश में आया है।

सेवा पुस्तिका गायब होने की जांच हेतु निदेशालय स्तर पर दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गयी है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। एक कार्मिक की भविष्य निधि पुस्तिका गायब होने के लिए उत्तरदायी कर्मी को भविष्य के लिए सचेत किया गया है।

एक कनिष्ठ लिपिक द्वारा जी.पी0एफ0 अग्रिम लिया गया है।

जी0पी0एफ0 पुस्तिका के अभाव में अग्रिम स्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता है बल्कि जी0पी0एफ0 पुस्तिका पुर्ननिर्मित करने के उपरान्त अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जनपद प्रतापगढ़ ब्लाक मंगरौरा में राजकीय इण्टर कालेज/हाई स्कूल की स्थापना किये जाने हेतु पत्र

50-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं0-70/2001 दि0 9-6-01 द्वारा ब्लाक मंगरौरा जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय इण्टर कालेज/हाई स्कूल की स्थापना किये जाने हेतु संयुक्त शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मण्डल इलाहाबाद के पत्र संख्या-3-1/प्रतापगढ़/5260/01-02 दिनांक 17-9-2001 उप शिक्षा निदेशक शिविर कार्यालय 18, पार्क रोड, लखनऊ को प्रस्ताव भेजा गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

वर्तमान में नये राजकीय इण्टर कालेज/हाई स्कूल की स्थापना की नीति समाप्त होने इस हेतु आय व्ययक में कोई बजट प्राविधान न होने के कारण जनपद प्रतापगढ़ में विद्यालय की स्थापना सम्भव नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या हाई स्कूल आसपुर देवसरा का नाम श्री चन्द्रभूषण शाह जी महाराज राजकीय कन्या हाई स्कूल आसपुर देवसरा रखने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

51-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या हाई स्कूल आसपुर देवसरा का नाम श्री चन्द्रभूषण शाह जी महाराज राजकीय कन्या हाई स्कूल आसपुर देवसरा रखने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा संख्या-70/01 दिनांक 9-6-01 की गयी थी ? यदि हां,

तो क्या उसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ का पत्र संख्या-1071/घोषणा/01-02 दिनांक 26-7-01 सचिव, शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

घोषणा का अनुपालन शासनादेश संख्या-2361/15-10-2001/9 घोषणा/01, दिनांक 3 सितम्बर, 2001 द्वारा किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी मुख्यालय स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज मंगरौरा की स्थापना की घोषणा

52-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 9-6-2001 को जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी मुख्यालय पर राजकीय कन्या इण्टर कालेज मंगरौरा की स्थापना की घोषणा की गयी थी ? क्या उसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ का पत्र 1385/मु0म0घो0/01-02 दिनांक 21-9-2001 सचिव माध्यमिक शिक्षा को भूमि प्रस्ताव सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

नये राजकीय विद्यालयों की स्थापना नीति समाप्त होने और इस हेतु आय-व्ययक में कोई व्यवस्था न होने के कारण स्थापना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

राजकीय कन्या हाई स्कूल, पट्टी एवं आसपुर देवसरा को उच्चीकृत करके इण्टरमीडिएट किये जाने की घोषणा

53-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री द्वारा जनपद प्रतापगढ़ तहसील पट्टी में दिनांक 9-6-01 की घोषणा संख्या-70/2001 द्वारा राजकीय कन्या हाई स्कूल, पट्टी एवं आसपुर देवसरा को उच्चीकृत करके इण्टरमीडिएट किये जाने की घोषणा की गयी थी ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ का पत्र 1071/घोषणा/01-02 दिनांक 26-7-2001 सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ में तहसील पट्टी के अन्तर्गत राजकीय कन्या हाई स्कूल पट्टी एवं आसपुर देवसरा को हाई स्कूल से इण्टर स्तर पर उच्चीकरण के लिये विद्यालय का भवन निर्माण पूर्ण होने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

54-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत शिक्षकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रसारित करने की मांग

55-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत शिक्षकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रसारित की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त सूची कब तक प्रसारित की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों बालक/बालिकाओं के रिक्त प्रवक्ता पदों पर नियुक्ति करने की मांग

56-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों बालक/बालिकाओं के रिक्त प्रवक्ता पदों की वर्तमान में संख्या क्या है ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रवक्ता-पुरुष/महिला शाखा में सीधी भर्ती के 374 एवं पदोन्नति के 418 कुल 792 पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान दिये जाने की मांग

57-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान प्रदान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। राजकीय बालक/बालिका इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों का पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप रु0 10,000-15,200 का वेतनमान नहीं दिया जा सका है क्योंकि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1262/दस-2001-53/2001 दिनांक 20-7-2001 द्वारा प्रधानाचार्यों को रु0 10,000-15,200 का वेतनमान अनुमन्य किया गया है किन्तु

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 8-8-2001 के प्रस्तर-1(3) में व्यवस्था है कि यदि शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक पदों का कहीं सम्मिलित संवर्ग हो और उनमें शैक्षिक पद का वेतनमान शासनादेश दि0 20 जुलाई, 2001 के अन्तर्गत उच्चीकृत हो गया हो तो सम्मिलित पद के पद धारकों को उच्चीकृत वेतनमान ज्येष्ठता के आधार पर शैक्षिक पद ग्रहण करने पर ही देय होगा। चूंकि प्रधानाचार्य के पद समूह "ख" (उच्चतर) के अन्तर्गत आते हैं जिसमें कई गैर शैक्षिक पद शामिल हैं और एक दूसरे पदों पर अधिकारी स्थानान्तरित होते रहते हैं।

प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अतिरिक्त ड्यूटी हेतु मानदेय की धनराशि बढ़ाने की मांग

58-श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को परीक्षा में अतिरिक्त ड्यूटी हेतु प्रतिपाली मात्र 50 पैसे मानदेय और अध्यापकों को 12 रुपये प्रतिपाली दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मानदेय की धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व की दरों को संशोधित करके शासनादेश दिनांक 17 जून, 2004 द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 2/- प्रति पाली के स्थान पर 12/- प्रति पाली तथा कक्ष निरीक्षकों (अध्यापकों) को 12/- प्रति पाली के स्थान पर 65/- प्रतिदिन का पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है।

प्रदेश में साक्षरता अभियान के तहत प्राप्त धन का उपयोग

59-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में साक्षरता अभियान के तहत प्राप्त धन का उपयोग जिलों में किस एजेन्सी के माध्यम से होता है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद जौनपुर में विगत तीन वर्षों में कितना धन भेजा गया, कितना उपयोग हुआ तथा कितना अवशेष है ? क्या सरकार व्यय किये गये धन का सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां। प्रदेश में साक्षरता अभियान के तहत प्राप्त धन का उपयोग जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला साक्षरता समिति के द्वारा किया जाता है।

जनपद जौनपुर में साक्षरता अभियान के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में राज्यांश के रूप में रु0 2,83,500.00 की धनराशि वर्ष 2003-04 में स्वीकृत की गयी थी। वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी थी।

उक्त धनराशि के सापेक्ष रु0 1,00,101.00 की धनराशि उपयोग की गयी तथा रु0 1,83,399.00 की धनराशि अवशेष है।

भारत सरकार के नीति निर्देशों के अन्तर्गत कार्यक्रम हेतु व्यय की गयी धनराशि का प्रत्येक वर्ष आडिट कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में टोंस नदी के किनारे स्थित कोड़रा गांव को बाढ़ से बचाने हेतु योजना

60-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में टोंस नदी के किनारे स्थित कोड़रा गांव को बाढ़ से बचाने हेतु हेड निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

टोंस नदी के किनारे स्थित ग्राम कोड़रा को नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिये डैम्पनर निर्माण की योजना बना ली गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में विधवाओं के पेंशन सम्बन्धी लम्बित आवेदन-पत्रों को निस्तारित करने की मांग

61-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31-5-04 को शाहजहांपुर जनपद में कितनी विधवाओं को पेन्शन दी जा रही है एवं कितने मामले ऐसे हैं जिनको स्वीकृत होने के बाद पेन्शन नहीं दी जा रही है तथा कितने आवेदन-पत्र वर्तमान समय में स्वीकृत हेतु लम्बित हैं ? लम्बित आवेदन-पत्रों को कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद शाहजहांपुर में 31-5-04 तक 6221 पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर में स्वीकृत समस्त लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। जनपद में 3560 आवेदन पत्र लम्बित हैं।

लक्ष्य में वृद्धि अथवा वचनबद्ध लाभार्थियों में मृतक/अपात्र/पलायन एवं पुनर्विवाह की स्थिति में उनके स्थान पर पेंशन स्वीकृत हेतु कार्यवाही करना संभव होगा।

62-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दूसरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

63-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)-

[दूसरे बुधवार के अता0 प्र0 सं0-28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

निदेशालय महिला कल्याण में जनपद व मण्डलों के सम्बद्ध तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

64-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 मई, 2004 को निदेशालय महिला कल्याण में जनपद व मण्डलों के कितने तृतीय श्रेणी कर्मचारी सम्बद्ध थे तथा कब से ? क्या यह सही है कि निदेशालय से सम्बद्ध होने के कारण कर्मचारियों के मूल तैनाती जनपदों में कार्य प्रभावित हो रहा

है ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्बद्धीकरण को समाप्त करके उन्हें उनके मूल तैनाती स्थल पर तैनात किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

दिनांक 31 मई, 2004 को निदेशालय महिला कल्याण में जनपद व मण्डलों के 09 तृतीय श्रेणी तथा 04 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सम्बद्ध थे।

वर्ष 1996 से-1
1998 से-1
1999 से-5
2001 से-1
2002 से-2
2003 से-3

जी हां।

सम्बद्धता समाप्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में संचालित राजकीय बाल गृह (शिशु) में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

65-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-सीतापुर में संचालित राजकीय बाल गृह (शिशु) में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें जुलाई, 2003 से 31 मई, 2004 तक विभागीय स्तर से जिला प्रोवेशन अधिकारी सीतापुर तथा निदेशक महिला कल्याण को प्राप्त हुई हैं ? क्या प्राप्त शिकायतों पर जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, सीतापुर को 12 तथा निदेशक, महिला कल्याण को 04 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

प्राप्त शिकायतों की जांच अभी प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजान इस्लामियां जू0 हा0 स्कूल, मैनपुरी में अवैध नियुक्तियां करने की शिकायत

66-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजान इस्लामियां जू0 हा0 स्कूल, मैनपुरी में अवैध नियुक्तियां करने की शिकायत थी श्री फैयाज अहमद सिद्दीकी द्वारा दिनांक 5-5-03 को बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी से की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती-पत्र पर कोई कार्यवाही/जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है ? यदि जांच नहीं करायी गयी तो क्यों ? यदि करायी जायेगी, तो कब तक ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

जी हां।

शिकायतें निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जांच करायी जा चुकी है।

जनपद शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक के ग्राम सुजातपुर स्थित जू0 हा0 स्कूल के भवन का निर्माण

67-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक के ग्राम-सुजातपुर स्थित जू0 हा0 स्कूल के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भवन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी नहीं।

स्थानीय विवाद के कारण, जिसका कि अब निराकरण करा दिया गया है।

यथाशीघ्र।

राज्य विश्वविद्यालयों में गठित सीधी भर्ती, पदोन्नति चयन समितियों में आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों को नामित सम्बन्धी शासनादेश का पालन

68-श्री स्वामी प्रसाद मोर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में गठित सीधी भर्ती, पदोन्नति चयन समितियों में आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों को नामित किये जाने हेतु 1994 में शासनादेश निर्गत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्रित की जा रही है।

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा विगत वर्ष में आरक्षित वर्ग का बैकलाग तथा सामान्य श्रेणी के रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन तथा नियुक्तियां

69-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा विगत वर्ष में आरक्षित वर्ग का बैकलाग तथा सामान्य श्रेणी के 161 रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन सं0-2/2003, दिनांक 15-8-2003 विज्ञापित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

शासनादेश सं0-2326/सत्तर-1-03-15(126)/03, दि0 4-9-03 द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों पर रोक लगा दी गई थी। भर्तियों पर लगी रोक शासनादेश सं0-3036/सत्तर-1-03-15(126)/03, दि0 23 जनवरी, 04 द्वारा हटा ली गई हैं। इसके पश्चात् 52 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। शेष पदों पर चयन प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न कराने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा बिना आरक्षण प्रक्रिया एवं बिना चयन समितियों के अंशकालिक शिक्षकों का चयन

70-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा नौ अंशकालिक शिक्षकों का चयन बिना आरक्षण प्रक्रिया एवं बिना चयन समितियों के ही कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

प्रकरण राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-68 के अन्तर्गत निर्णय हेतु महामहिम कुलाधिपति को संदर्भित है।

प्रश्न नहीं उठता।

नलकूपों के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में पंजीकृत पत्र

71-श्री अनिल पासवान-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि महासचिव, विद्युत एवं यांत्रिक डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 का 100 नलकूपों के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में पंजीकृत पत्र संख्या-59/तकनीकी विश्लेषण प्रकोष्ठ/2004, दिनांक 1-3-2004 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी हां।

उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन उ0 प्र0 सरकार का एक उपक्रम है, जिसके पास नलकूपों के निर्माण हेतु आवश्यक मशीनें तथा तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध थे। आर0 आई0 डी0 एफ0-8 के अन्तर्गत स्वीकृत नलकूपों के आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में 228 फेल नलकूपों का पुनर्निर्माण प्रस्तावित था। उक्त पुनर्निर्माण कार्य को समय से पूर्ण करने हेतु उक्त नलकूपों में से 100 नलकूपों का कार्य उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन को दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम लोधपुरवा, जनपद बाराबंकी के निवासी श्री तुलसीराम वर्मा की भूमि पर लगाया गया राजकीय नलकूप तथा भूमि का मुआवजा

72-श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लोधपुरवा परगना बदोसराय तहसील सिरौली गौसपुर जनपद बाराबंकी के निवासी श्री तुलसीराम वर्मा की भूमि पर वर्ष 1981 में राजकीय नलकूप सं0-38 लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि का मुआवजा जो 65000/- (पैंसठ हजार)

स्वीकृत हुआ था ? क्या उसका भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रमुख सचिव, वित्त, उ0 प्र0 शासन के निर्देशानुसार भू-अर्जन हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0), बाराबंकी के पी0 एल0 ए0 खाते में मुआवजे के भुगतान हेतु जमा करायी गयी धनराशि राजस्व प्राप्ति के लेखाशीर्षक में जमा हो जाने से विभाग से संबंधित धनराशि "शून्य" हो गयी।

शासनादेश सं0-3935 सख/99-27-सि0-3-3(22)/99, दिनांक 21-6-99 के अनुसार आपसी समझौते के आधार पर आगणित धनराशि आवंटित कराकर भुगतान किये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, सरोजनी नगर में माली के पद पर कार्यरत श्री राम प्रसाद की समाप्त सेवायें तथा कम्पन्शेट एलाउन्स दिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र

73-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सरोजनी नगर में माली के पद पर कार्यरत श्री राम प्रसाद की सेवायें वर्ष मार्च, 1991 में समाप्त कर दी गयी थीं ? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को पेंशन का लाभ न देकर कम्पन्शेट एलाउन्स नियमों में अनुमन्य होने के उपरान्त भी अभी तक नहीं दिया गया है ? क्या उक्त कर्मचारी द्वारा उक्त एलाउन्स दिये जाने हेतु मई, 2004 में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उसको कम्पन्शेट एलाउन्स दिलायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं, कम्पन्शेन्ट एलाउन्स दिये जाने की बाध्यता नहीं है।

जी नहीं, प्राप्त नहीं हुआ।

जी नहीं।

श्री राम प्रसाद का प्रकरण पूर्व से विचाराधीन है, उनके द्वारा की गयी घोर अनियमिततायें, अनुशासनहीनता, उद्दंडता एवं अपराधिक गतिविधियों के आधार पर सेवा से पदच्युत किया गया था।

राज्य सरकार से सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थान बी0 आर0 इंजी0 इंस्टीट्यूट के शिक्षकों/कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान

74-डा0 रामबाबू हरित-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य सरकार से सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थान बी0 आर0 इंजी0 इंस्टीट्यूट, विचपुरी (आगरा) के शिक्षकों/कर्मचारियों को जनवरी, 2004 से वेतन का भुगतान न होने के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या

सरकार इन शिक्षक/कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान तथा नियमित भुगतान के लिये कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय कन्या विद्यालय पट्टी एवं आसपुर देवसरा को हाई स्कूल से इण्टर तक उच्चीकृत किये जाने का अनुमोदन

75-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 2004-05 में राजकीय कन्या विद्यालय, पट्टी एवं आसपुर देवसरा को हाई स्कूल से इण्टर तक उच्चीकृत किये जाने एवं राजकीय कन्या विद्यालय मंगरौरा की स्थापना हेतु क्या अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ? यदि हां, तो शासनादेश कब तक निर्गत कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय कन्या विद्यालय पट्टी एवं आसपुर देवसरा को हाई स्कूल से इण्टर स्तर पर उच्चीकरण के लिये जिला नियोजन समिति ने रु0 9.00 लाख का परिव्यय जिला योजना में अनुमोदित कराया है किन्तु विद्यालय के भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही उसके उच्चीकरण पर विचार किया जायेगा। राजकीय कन्या विद्यालय मंगरौरा की स्थापना के सम्बन्ध में स्थापना की नीति समाप्त होने और इस हेतु आय-व्ययक में कोई बजट व्यवस्था न होने के कारण सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लोक सेवा अयोग द्वारा चयनित प्रोवेशन अधिकारियों को रिक्त पदों पर नियुक्त करके स्थायी किये जाने की मांग

76-श्री इन्द्रदेव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1983 में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रोवेशन अधिकारियों को क्या रिक्त पदों पर नियुक्त करके उनको स्थायी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनका स्थायीकरण अब तक न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उनका स्थायीकरण करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। महिला कल्याण विभाग में प्रोवेशन संवर्ग के पदों की सेवा-नियमावली न होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी।

उपरोक्तानुसार।

जी हां।

उ0 प्र0 परिवीक्षा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2004 प्रख्यापित हो गई है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े सहायक अध्यापक (उर्दू) के पदों पर नियुक्ति किये जाने विषयक पत्र

77-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े सहायक अध्यापक (उर्दू) के पदों पर नियुक्ति किए जाने विषयक पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0 को0/एम-96422/04, दिनांक 23-2-04 प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख सचिव, शिक्षा द्वारा अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

मा0 सदस्य का तद्विषयक पत्र संख्या-सी0एम0/वी0को0/एम0-96442/04, दिनांक 23-2-2004 प्राप्त हुआ है।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 3000 रिक्त पदों पर उर्दू शिक्षण की प्रवीणता रखने वाले वी0 एड0/एल0 टी0/वी0पी0 एड0/सी0पी0एड0 एवं डी0 पी0 एड0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को छः मास का विशिष्ट बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण कराकर सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसण्ड के राजकीय आवासों में अनाधिकृत रूप से निवास करने वाले लोगों से खाली कराये जाने की मांग

78-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसण्ड (डायट) के राजकीय आवासों में अनधिकृत लोग निवास कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अनधिकृत रूप से निवास करने वाले लोगों से राजकीय आवासों को खाली करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आशुलिपिकों को एक जनपद एवं खण्ड में कार्यरत रहने की वार्षिक स्थानान्तरण नीति

79-श्री भूपेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आशुलिपिकों को एक जनपद एवं खण्ड में कितने वर्षों तक कार्यरत रहने का प्राविधान है ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली जनपद मुख्यालय पर कितने आशुलिपिक वर्तमान समय में कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ऐसे खण्डीय आशुलिपिकों के स्थानान्तरण जनपद से बाहर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2004-05 में समूह "ग" के कार्मिकों, जिसमें आशुलिपिक भी सम्मिलित हैं, के किसी खण्ड अथवा जनपद में अधिकतम तैनाती अवधि के संबंध में प्राविधान नहीं है। सिंचाई विभाग के अधीन जनपद बरेली में 9 आशुलिपिक कार्यरत हैं।

जी नहीं।

वार्षिक स्थानान्तरण नीति में तैनाती अवधि के आधार पर इन कार्मिकों के स्थानान्तरण का प्राविधान न होने के कारण सम्प्रति खण्डीय आशुलिपिकों के स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बी0 एन0 इण्टर कालेज भगवन्त नगर, हरदोई में परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन का भुगतान

80-श्रीमती कृष्णा पासवान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 एन0 इण्टर कालेज, भगवन्त नगर, हरदोई में कितने कर्मचारी को परिवार नियोजन के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन दिया जा रहा है ? क्या पात्र कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विद्यालय के 09 शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत देय वैयक्तिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण विभाग में उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के रिक्त पद तथा पदोन्नति की मांग

81-श्री इन्द्रदेव-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि महिला कल्याण विभाग में उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कितने नियमित पद गत 5 वर्षों से रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि उक्त पदों पर कार्य जिला प्रोवेशन अधिकारियों से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर प्रोन्नतियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के मार्च, 2001 तक 11 एवं वर्तमान 12 पद रिक्त हैं।

जी हां।

जी हां।

उ0 प्र0 परिवीक्षा अधिकारी (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2004 प्रख्यापित हो चुकी है जिसके अन्तर्गत प्रक्रिया विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर (फैजाबाद) में स्थित दरबन झील से संबंधित नालों की खुदाई

82-श्री धर्मराज निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर/फैजाबाद में स्थित दरबन झील से निकलने वाले नाले के खुदाई कार्य को दिनांक 25 अगस्त, 2003 को लखनऊ में तकनीकी

समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त स्वीकृत नाले की खुदाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? नाला न खुदाई कराने वालों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी हां। जनपद अम्बेडकर नगर स्थित दरबन झील से सम्बन्धित 7 नालों की खुदाई की योजना का अनुमोदन तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 24-08-2003 को प्रदान किया गया है।

जी हां। नालों की खुदाई के कार्य से पहले दरबन ताल ड्रेन के कि0मी0 1.400 पर स्थित रेलवे पुल का बैड नीचे किया जाना अर्थात पुनर्निर्माण आवश्यक है जिसके लिए रेलवे विभाग को धन उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान किये जाने की मांग

83-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान करने के सम्बन्ध में उनके संघ का मांग-पत्र जून, 2004 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

प्रकरण में विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग

84-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासन द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वित्तीय अनियमितता एवं अन्य अनियमितताओं की जांच हेतु एक समिति का गठन किया था ? यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की मांग

85-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने का विषय शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय को कब तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रकरण केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

चूंकि प्रकरण केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन है। अतः समय सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिक विभाग में "प्रो0 मेघनाथ साहा चेयर", संस्कृत विभाग में "पं0 गंगानाथ झा पीठ" तथा हिन्दी विभाग में "निराला पीठ" पर नियुक्तियों की मांग

86-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वर्ष 1998-99 में भौतिक विभाग में "प्रो0 मेघनाथ साहा चेयर", 1999-2000 में संस्कृत विभाग में "पं0 गंगानाथ झा पीठ" तथा हिन्दी विभाग में "निराला पीठ" शासन द्वारा स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पीठों पर नियुक्तियां की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन-पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं और चयन की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय ढिढुई के नामकरण की मा0 मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा

87-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय ढिढुई तहसील पट्टी प्रतापगढ़ के नामकरण की घोषणा मा0 मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा संख्या-70/2001 की गयी ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के समादर में प्रश्नगत महाविद्यालय का नाम "कौशल्या भारत सिंह गांधी राजकीय कन्या महाविद्यालय ढिढुई, पट्टी, प्रतापगढ़," परिवर्तित करने के आदेश कार्यालय ज्ञाप संख्या-मु0नं0-187/सत्तर-5-2001-40(13)/97, दिनांक 13 जुलाई, 2001 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय बालिका हाई स्कूल पट्टी एवं आसपुर देवसरा का नामकरण किये जाने की घोषणा

88-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के राजकीय बालिका हाई स्कूल पट्टी एवं आसपुर देवसरा का नामकरण किये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं0 70/01 का अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ ट्रैक्टर्स लिमिटेड प्रतापगढ़ के छटनीशुदा कर्मचारियों के समायोजन हेतु पत्र

89-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ ट्रैक्टर्स लिमिटेड प्रतापगढ़ के छटनीशुदा कर्मचारियों के समायोजन हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-1328 दिनांक 14-7-2003 सचिव, लघु सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाकिर अली-

जी नहीं।

मा0 सदस्य का पत्र तत्कालीन मा0 मंत्री, लघु सिंचाई को सम्बोधित है तथा उन्हीं को प्राप्त हुआ है। इस पत्र को तत्कालीन मा0 मंत्री जी द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु सीधे मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को दिनांक 17-7-2003 को भेजा गया।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 16-6-2000 द्वारा ए0टी0एस0 के छटनीशुदा कर्मचारियों को लघु सिंचाई विभाग में समायोजित किये जाने के बजाय अन्य विभागों में समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया था। अब कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-874/का-3-2003-3/18-98, दिनांक 8 अप्रैल, 2003 द्वारा सरकारी सेवा से किसी विशिष्ट सरकारी विभाग या सार्वजनिक निगम के लिए छटनीशुदा कर्मचारियों के आमेलन के लिए समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेश उ0प्र0 सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों सरकारी सेवा में आमेलन (विखण्डन) नियमावली, 2003 के प्रारम्भ होने के दिनांक से निरावृत (समाप्त) कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में एप्लेक्स बांध, कटका नाला बांध बनाये जाने हेतु अधिग्रहीत भूमि तथा मुआवजे का भुगतान

90-श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री जयनारायन तथा अन्य कई कृषक निवासी ग्राम बरदरी व तवक्कलपुर परगना बदोसराय, तहसील सिरौली गौसपुर, बाराबंकी की कृषि योग्य भूमि को 9-1-85 में एप्लेक्स बांध, कटका नाला बांध बनाये जाने हेतु अधिग्रहीत की गई थी ? यदि हां, तो क्या किसानों को उनकी भूमि के मुआवजा का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी हां।

केवल सात कृषकों को मुआवजे का भुगतान किया जाना शेष है।

धनाभाव के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

अवशेष सात कृषकों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक नहर के फतेहपुर-सीहाली मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने की मांग

91-श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक नहर के फतेहपुर-सीहाली मार्ग पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

शारदा सहायक नहर के दरियाबाद शाखा के फतेहपुर-सीहाली मार्ग पर बना पुल क्षतिग्रस्त नहीं है, बल्कि इसका पैरामेट क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक को क्षतिग्रस्त पैरामेट की मरम्मत तत्काल कराये जाने हेतु शासन द्वारा दिनांक 22-07-2004 को आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, रीडर तथा प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्तियों की मांग

92-श्री राम विशुन आजाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रोफेसर, रीडर तथा प्रवक्ता के रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति का बैकलाग पूरा करने हेतु विज्ञापन संख्या 2/2003, दिनांक 15-8-2003 को प्रकाशित किया गया था ? यदि हां, तो विज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येक संवर्ग में पदों की संख्या क्या थी तथा उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गईं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

संवर्ग	रिक्त पद
आचार्य	अनुसूचित जाति 14 पद
	अन्य पिछड़ा वर्ग 03 पद
उपाचार्य	अनुसूचित जाति 13 पद
	अन्य पिछड़ा वर्ग 15 पद
	अनु0 जनजाति 01 पद
प्रवक्ता	अनुसूचित जाति 19 पद
	अन्य पिछड़ा वर्ग 23 पद
	अनुसूचित जनजाति 01 पद

शासनादेश संख्या-2326/सत्तर-1-2003-17(126)/2003, दि0 04-9-2003 द्वारा सभी भर्तियों पर रोक लगा दी गयी थी जिसे शासनादेश संख्या-3036/सत्तर-1-2003-15(126)/2003, दि0 23 जनवरी, 2004 द्वारा हटा दिया गया था तदोपरान्त लोक सभा चुनाव सम्पन्न होने के उपरान्त मई,

2004 में विज्ञापित पदों के लिए चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। अब तक 19 पदों के लिए चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जा चुकी है। शेष पर चयन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण सभी छात्राओं को बीस हजार रुपया प्रति छात्रा देने की घोषणा

93-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर तथा श्री ओ0 पी0 सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण सभी छात्राओं को बीस हजार रुपया प्रति छात्रा देने की जो घोषणा मई-जून, 2004 में की गई है तो उसका क्रियान्वयन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मा0 मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक को प्रस्तुत करते समय अपने भाषण में घोषणा की है कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये कन्या विद्या धन योजनान्तर्गत कक्षा-8 उत्तीर्ण गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की 90,000 छात्राओं का चयन कर कक्षा-12 उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन स्वरूप 20,000/-रुपये प्रति छात्रा भुगतान किया जायेगा, इसका क्रियान्वयन अभी नहीं हुआ है।

घोषणा के अनुपालन में योजना का प्रारूप एवं नियमावली तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है जिसके पूर्ण होने पर क्रियान्वयन कर दिया जायेगा।

शारदा सहायक खण्ड-32 आजमगढ़ में अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की नीति

94-श्री राम कृपाल-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक खण्ड-32 आजमगढ़ में शासन की नीति के विपरीत विगत कई वर्षों से एक ही स्थान पर अभियन्ता कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम खण्डौरा, जनपद आजमगढ़ में शिवपुर माइनर की खुदाई की जांच

95-श्री राम कृपाल-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम खण्डौरा हमीरपुर, तह0 फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में शिवपुर माइनर की खुदाई लगभग 20 वर्ष पूर्व की गई थी ? क्या यह सही है कि उक्त माइनर की खुदाई गलत कराये जाने के कारण उक्त माइनर से टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी हां।

नहर की खुदाई गलत नहीं हुयी बल्कि पानी की कमी से नहर की टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

नहरों का रोस्टर एवं रेगुलेशन करते हुये टेल तक पानी पहुंचाने के निर्देश सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को दे दिये गये हैं।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापकों के लिए शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना

96-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापकों के लिए शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना कराये जाने हेतु वर्ष 1997-98 में शासन द्वारा 42.99 लाख रु0 स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह केन्द्र तैयार हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

अध्यापक के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र हेतु अतिरिक्त रु0 16.12 लाख के अन्तर की धनराशि को विश्वविद्यालय को अपने स्रोतों से वहन करके शेष निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई स्थित प्राइमरी पाठशाला को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार

97-श्री द्वारिका प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला महतवाना तहसील सण्डीला जनपद हरदोई स्थित प्राइमरी पाठशाला का भवन अत्यन्त जीर्ण अवस्था में है और वर्षा ऋतु में गिर जाने का खतरा बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पाठशाला को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह-

जी हां।

विद्यालय भवन जर्जर स्थिति में होने के कारण छात्रों को सुरक्षा के दृष्टिगत प्राथमिक पाठशाला महतवाना को नगर क्षेत्र में ही संचालित अन्य प्राइमरी पाठशाला राजाहाता में अस्थायी तौर पर संचालित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-रायबरेली के ग्राम सेलरहा में नलकूप संख्या-88 के पुनर्निर्माण की मांग

98-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली के वि0 खं0-डलमऊ स्थित ग्राम सेलरहा में 88 डी0जी0 सिंचाई नलकूप विगत कई वर्षों से खराब पड़ा है जिससे कृषकों की कृषि योग्य भूमि असिंचित रह जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नलकूप को पुनः चालू करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी हां। ग्राम सेलरहा में स्थित नलकूप संख्या-88 डी0जी0 वर्ष 1997-98 में असफल हो गया है।

जी हां। उक्त नलकूप के पुनर्निर्माण का कार्य नाबार्ड द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 की कार्य योजना में सम्मिलित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद झांसी, तहसील मऊरानीपुर के अन्तर्गत बिरगवा घाट व रोरा घाट पर नई नावों की व्यवस्था की मांग

99-श्री प्रागी लाल अहिरवार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी तह0 मऊरानीपुर के अन्तर्गत बिरगवा घाट व रोराघाट पर सिंचाई विभाग द्वारा संचालित नावें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं जिससे नागरिकों को आने जाने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नई नावों की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी हां। जनपद झांसी, तहसील मऊरानीपुर के अन्तर्गत उर नदी पर बिरगुवा घाट हेतु सिंचाई विभाग द्वारा एक बड़ी नाव की व्यवस्था थी। बड़ी नाव क्षतिग्रस्त है, परन्तु बड़ी नाव के स्थान पर एक छोटी नाव क्रियाशील है।

धसान नदी पर स्थित रोरा घाट पर सिंचाई विभाग द्वारा संचालित नाव वर्तमान में क्षतिग्रस्त है।

शासन द्वारा उक्त दोनों घाटों पर स्थित क्षतिग्रस्त नावों को मरम्मत कर कार्यशील करने अथवा नई नावों की व्यवस्था करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री तुलसी इण्टर कालेज, राजापुर, चित्रकूट में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों की जांच

100-श्री उदयभान करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तुलसी इण्टर कालेज राजापुर चित्रकूट (तत्कालीन बांदा) जनपद में माह मार्च, 1995 में नियुक्तियों पर शासन द्वारा लगायी गयी रोक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के बिना अनुमोदन प्राप्त किये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

श्री तुलसी इण्टर कालेज, राजापुर, चित्रकूट में वर्ष 1995 में एक लिपिक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा की गई थी।

प्रबन्धतंत्र भंग कर दिया गया है। प्रधानाचार्य/जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाएं

101-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाएं जैसे-राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, राजकीय बाल गृह, (शिशु), निराश्रित कर्मशाला आदि की कुल

संख्या कितनी है ? क्या उक्त संचालित संस्थाओं को कम करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

साठ (60)।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मऊरानीपुर, जनपद झांसी में किसानों की सिंचाई हेतु सपरार मुख्य नहर में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

102-श्री प्रागी लाल अहिरवार-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मऊरानीपुर जनपद झांसी में किसानों को सिंचाई हेतु सपरार मुख्य नहर का पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है ? क्या यह सही है कि उस नहर का पानी लचूरा बांध के लिए दिया जाता है जिससे मऊरानीपुर क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बांध को पानी देने पर रोक लगाकर सपरार मुख्य नहर में टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी हां।

वर्ष 1952 में निर्मित सपरार बांध में सिल्टिंग हो जाने के कारण जल भण्डारण क्षमता घट गयी है तथा सपरार बांध से निकलने वाली सपरार मुख्य नहर (रानीपुर मुख्य नहर प्रणाली) के ऊपरी भाग में कृषि सघनता से वृद्धि होने तथा निर्धारित कमाण्ड क्षेत्र के बाहर सिंचाई होने के कारण टेल क्षेत्र की कुछ माइनरों की सिंचाई प्रभावित होती है।

जी हां।

सपरार बांध से सुखनई नदी के माध्यम से वर्ष 1910 में निर्मित लहचूरा बांध से पोषित घसान नहर प्रणाली को पानी दिये जाने का प्राविधान है जिससे जनपद हमीरपुर के ब्लाक-राठ, सण्डीला, गोहाण्ड हेतु लगभग 629 कि0 मी0 लम्बी नहर प्रणाली पोषित की जाती है। अतः इस पानी को रोक कर केवल सपरार मुख्य नहर (रानीपुर मुख्य नहर) में पानी दिया जाना प्राविधानानुसार नहीं होगा।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में ऐसा किया जाना संभव नहीं है।

सपरार बांध से धसान नहर को प्राविधानित जल रोका जाना प्राविधानानुकूल नहीं होगा।

प्रदेश में सिंचाई विभाग की झीलें व तालाब आदि को मछली पालन के लिये पट्टे एवं उनकी नीलामी करने पर विचार

103-श्री प्रागी लाल अहिरवार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिंचाई विभाग की झीलें व तालाब आदि को मछली पालन के लिये पट्टे एवं उनकी नीलामी पर पिछली सरकार द्वारा रोक लगा दी गयी थी ? जिससे मछुआ समाज के लोग तीन वर्ष से अपनी रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मछली पालन के पट्टों एवं नीलामी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी-

जी हां। सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 के जलाशयों में मत्स्य पालन के लिये आवंटन की प्रक्रिया के निर्धारण के क्रम में शासन के पत्र सं0-4961सख/99-27-सिं-3-3(16)/97, दिनांक 27-1-2000 द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि ऐसे जलाशयों जिनमें मत्स्य पालन के लिये पूर्व में दिये गये ठेके/पट्टे जिनकी अवधि समाप्त हो गयी हो, उनके अग्रिम आदेशों तक सिंचाई विभाग द्वारा ठेके/पट्टे न किये जायें और न ही उनका नवीनीकरण किया जाये।

सिंचाई विभाग की नहरों में मत्स्य आखेट हेतु नीलामी द्वारा ठेके/पट्टे दिये जाने की व्यवस्था विद्यमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रस्तावित राजकीय महाविद्यालय

104-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्रदेश में कुल कितने राजकीय महाविद्यालय सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है ? क्या जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वित्तीय वर्ष 2004-05 में सम्प्रति 6 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना प्रस्तावित है।

जी नहीं।

जनपद प्रतापगढ़ में पूर्व से ही उच्च शिक्षा की पूर्ति हेतु 17 महाविद्यालय संचालित हैं। अतः जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में नये राजकीय महाविद्यालय की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

नियम-300 तथा 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 तथा 301 की सूचनायें निरस्त करता हूं और कार्यसूची की आगे की मद ले रहा हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधानों के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

(सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे)

नोट :-† छापे नहीं गये।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधानों के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2004 में नियम-301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 2004 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

(भाजपा सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे)

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण 2001-2002 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखा विवरण 2001-2002 को उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा-23 की उपधारा-5 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 85वां (पच्चासीवां) प्रतिवेदन †

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 85वां (पच्चासीवां) प्रतिवेदन, जो राजस्व ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज विभागों के वर्ष 1985 से 2001 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

नोट :-† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 86वां (छियासीवां) प्रतिवेदन †

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 86वां (छियासीवां) प्रतिवेदन, जो उच्च, माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक शिक्षा एवं समाज कल्याण विभागों के वर्ष 1982 से 2000 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 87वां (सत्तासीवां) प्रतिवेदन †

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 87वां (सत्तासीवां) प्रतिवेदन, जो महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा, परिवहन, कर निबन्धन, वित्त, खेलकूद, श्रम विभागों के वर्ष 1984 से 2001 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 88वां (अट्ठासीवां) प्रतिवेदन †

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 88वां (अट्ठासीवां) प्रतिवेदन, जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभागों के वर्ष 1987 से 2001 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-12 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 26 जुलाई, 2004 को हुई अपनी बैठक में सदन के दिनांक 27 जुलाई से 06 अगस्त, 2004 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

जुलाई, 2004

27 मंगलवार	1-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार एवं उसका पारण-एक घण्टा
28 बुधवार	1-उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसका पारण-एक घण्टा

नोट :-† छापे नहीं गये।

29 गुरुवार 1-विधायी कार्य

2-श्री सुखदेव राजभर, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि राजभर/भर, कश्यप, निषाद, बिन्द, धीवर, मछुआ, मल्लाह जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करते हुए अनुसूचित जाति के आरक्षण को उनकी आबादी के अनुसार 26 प्रतिशत किया जाय।"

30 शुक्रवार 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)

2-विधायी कार्य (आधा दिन)

3-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा :-

" 'विधायक निधि' के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।"

"विधायक निधि" के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।"

31 शनिवार
अगस्त, 2004 बैठक नहीं होगी।

---

01 रविवार

02 सोमवार विधायी कार्य।

03 मंगलवार 1-विधायी कार्य।

2-1.00 बजे अपराह्न

(1) वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतिकरण।

(2) वित्तीय वर्ष 1983-84 से 1989-90 के अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में अनुदानों का प्रस्तुतिकरण।

04 बुधवार 1-वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-वित्तीय वर्ष 1983-84 से 1989-90 के अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयकों का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उन पर विचार एवं उनका पारण।

05 गुरुवार विधायी कार्य।

06 शुक्रवार 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)

2-विधायी कार्य (आधा दिन)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव रखें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।'

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2003 को वापस लेने की अनुमति पर विधान परिषद् द्वारा अपनी सहमति दिये जाने विषयक प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2003 को वापस लेने की अनुमति देने पर अपनी सहमति दे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2003 को वापस लेने की अनुमति देने पर अपनी सहमति दें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव से पहले नेता विरोधी दल को सुने जाने का अनुरोध

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि नियम-56 से पहले मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं अभी नियम-56 में आ रहा हूं उसी में आपको सुन लूंगा।

श्री हुकुम सिंह-

नहीं मान्यवर, आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपसे मैं कह रहा हूं, आप नहीं सुन रहे हैं तो मुझ पर सुनने के लिए दबाव क्यों डाल रहे हैं ?

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 *

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नोट :- * दिनांक 24-8-2004 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

† छापे नहीं गये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम-300 एवं नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं कार्य स्थगन प्रस्ताव ले रहा हूं जो माननीय सदस्य इसमें बोलना चाहते हैं, वह बोलें। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूं कि वह अपने दल के माननीय सदस्यों को उनकी सीटों पर ले जायें।

(नारेबाजी घोर व्यवधान)

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जिन-जिन विषयों को आपने उठाया है, जिन-जिन बिन्दुओं पर आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है और जो स्वीकृत हुए हैं, उस पर चर्चा होने दीजिए। आप लोग अपनी सीटों पर चले जायें। मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं।

(लेकिन बेल में आये हुए सदस्य अपने स्थान पर बने रहें, जिससे सदन में घोर व्यवधान जारी रहा।)

श्री हुकुम सिंह द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव से पहले नेता विरोधी दल को सुने जाने का अनुरोध

(क्रमागत)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह पहली बार सदन में हो रहा है ..... (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से, आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इतने व्यवधान में ही बोलना चाहते हैं तो बोलें। हम सुनने को तैयार हैं।

(सत्ता पक्ष द्वारा सदन में घोर व्यवधान)

नेता, विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, अगर इसी तरह शोर रहा, तो यही दोषी रहेंगे। आपके व्यवहार से हमें बहुत निराशा हुई है।

श्री अध्यक्ष-

अगर यही रहा तो मैं कार्यसूची को आगे बढ़ा रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आप चाहें तो हमें बाहर निकाल दें। हम अपनी बात कहना चाहते थे लेकिन आपने नहीं कहने दी।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष अगर बोलने के लिए खड़े हों और उन्हें बोलने का अवसर न दिया जाय, तो यह उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात कह लें, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी बात कह लें और नेता प्रतिपक्ष को न बोलने दिया जाय, तो इस तरह से कार्यवाही नहीं चल पायेगी। अगर ज्यादा शोर हो रहा था, तो आप सदन को स्थगित कर देते। आप विपक्ष के नेताओं

को अपने कक्ष में बुलाते, कोई फार्मूला निकालते कि सदन कैसे चले ? आपने धैर्य की परीक्षा तो ले ली लेकिन इस तरह से सदन नहीं चल पायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सबसे आग्रह किया था लेकिन यह सब लोग धरना दिये थे। कल माननीय नेताओं की बैठक में तय भी हुआ था लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

[xxx] आप सदन को स्थगित करायें और अपने चेम्बर में बुलायें।

श्री अध्यक्ष-

मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह कृपया अपनी सीटों पर चले जायें।

(सदस्य गण वेल पर खड़े रहे)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मैं लाबी में बैठा सुन रहा था। एक समय तो ऐसा आया जब अप्रिय स्थिति होते-होते बच गयी। अगर यह सरकार सिनसियर है और सदन को चलाना चाहती है, तो एक सप्ताह के लिए सदन को स्थगित करे। एक सप्ताह के अन्दर कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो, अपराध न हों, किसानों के गन्ने के मूल्य का बकाया का भुगतान किया जाय, बिजली की व्यवस्था ठीक हो, विद्यार्थियों की प्रवेश की समस्या का हल हो, पहले इनकी परफारमेंश देखें, उसके बाद सदन को एक महीना तक चलायें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय त्रिपाठी जी, आप तो अध्यक्ष रहे हैं। मैं सबसे आग्रह कर रहा था, नेता प्रतिपक्ष से आग्रह कर रहा हूं।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

आप कोई हल इसका निकालें। यह आपकी जिम्मेदारी है, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सदन को चलाये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इसके लिए आप नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव लाइए।

श्री अध्यक्ष-

यह कैसे हो सकता है, मैंने तो नियम-56 में बोलने के लिए आग्रह किया है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मान्यवर, आप सदन को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दीजिए और एक सप्ताह के अन्दर छात्रों से सम्बन्धित समस्यायें हल कर दें, बिजली की आपूर्ति चौदह घण्टे कर दें, प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार ला दें उसके बाद हम एक महीने तक सदन चलायेंगे, इस एक सप्ताह में हम सरकार की परफारमेंश देखना चाहते हैं और वह इसे दिखाएँ।

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

आपकी पूरी बात मान ली गई, सब तय हो गया उसके बाद भी आप नहीं मान रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए ?

नियम-300 एवं नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 जुलाई, 2004 को नियम-311 में प्राप्त 10 सूचनाओं को, नियम-300 में प्राप्त दो सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है, इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई हैं, प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(सदन में व्यवधान के कारण उक्त दो सूचनाएं ग्राह्यता हेतु नहीं सुनी जा सकीं, अतः निरस्त हुईं।)

नियम-56 के अन्तर्गत प्राप्त निम्नलिखित दो विषयों की सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत दो-दो घण्टे की चर्चा स्वीकृत की जाती है-

इनमें पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (नियम-311 में प्राप्त), श्री उदयभान करवरिया, श्री नवाब सिंह नागर, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री सतीश महाना (नियम-300 में प्राप्त), श्री सलिल बिश्नोई तथा श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री घूराराम, श्री प्रमोद कुमार (नियम-311 में प्राप्त) श्री जगदम्बिका पाल, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्रीमती अमिता सिंह, श्री उदयभान करवरिया (नियम-311 में प्राप्त), श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री राम इकबाल सिंह, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर तथा श्री मुन्शीलाल गौतम की प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के संबंध में है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं, अतः अस्वीकृत हुई, उनके नाम हैं श्री रामहेत भारती, श्री देवनारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री उदयभान करवरिया, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री सतीश महाना (नियम-311 में प्राप्त), श्री सलिल बिशनोई, डा0 विनोद तिवारी तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी।

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।"

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मान्यवर, अगर आपकी अनुमति हो तो हम इस पर अपने विचार रखें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप इन परिस्थितियों में क्या बोलेंगे, जब सदन व्यवस्थित ही नहीं है। जो कार्य स्थगन पर मैंने चर्चा हेतु बोलने का मौका दिया, उस पर तो आप लोग बोल नहीं रहे हैं, तो इस पर क्या विचार रखेंगे ? कृपया आप बैठें।

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष-

अब मैं खण्डशः विचार लेता हूं।

खण्ड-2 से खण्ड-3

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में खण्ड (ज-1) निकाल दिया जायेगा।

धारा 8 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात :--

"(ख) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार परिष्कृत या नवनिर्मित मण्डी क्षेत्र के लिये एक नई मण्डी समिति संगठित की जायेगी ;"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा 13, 13-क, 14, 14-क और 14-ख का प्रतिस्थापन

4-मूल अधिनियम की धारा 13, 13-क, 14, 14-क और 14-ख के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :--

समिति का संगठन

"13-(1) धारा 12 में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा जैसी विहित की जाय :--

(क) प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थल या उनमें से किसी के भाग और मण्डी क्षेत्र या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली नगरीय स्थानीय निकायों का एक प्रतिनिधि ;

(ख) प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थल या उनमें से किसी के भाग और मण्डी क्षेत्र या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि और क्षेत्र पंचायतों का एक प्रतिनिधि ;

(ग) मण्डी क्षेत्र में कार्य करने के लिये लाइसेंस प्राप्त सहकारी विपणन समितियों का एक प्रतिनिधि ;

(घ) मण्डी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाले और उसके लिये इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त आढ़तियों का एक प्रतिनिधि :

(ङ) मण्डी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाले और उसके लिये इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों का एक प्रतिनिधि ;

(च) मण्डी क्षेत्र के उत्पादकों के सात प्रतिनिधि ;

(छ) मण्डी क्षेत्र का एक व्यक्ति जो उपभोक्ताओं के हित का, प्रतिनिधित्व करेगा ;

(ज) दो सरकारी पदधारी, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश व्यापार कर विभाग का और दूसरा खाद्य तथा रसद विभाग का प्रतिनिधि होगा ;

(झ) मण्डी समिति का सचिव, जो सदस्य सचिव होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों में से,

(क) दो सदस्य किसी ऐसी ग्राम पंचायत के निवासी होंगे जिसका मण्डी क्षेत्र के किसी भाग पर क्षेत्राधिकार हो ;

(ख) पांच सदस्य मण्डी क्षेत्र में कोई ऐसे उत्पादक विक्रेता होंगे जो समिति से पिछले तीन वर्षों का प्रपत्र संख्या 6 में विक्रय वाउचर प्राप्त किये हों ;

जिनमें से एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा और दूसरा सदस्य नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों में से होगा।

(3) प्रत्येक समिति में उपधारा (1) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सभापति और समिति के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक उप सभापति होगा ;

(4) (क) उपधारा (1) के अधीन संगठित समिति का कार्यकाल उपधारा (6) के अधीन समिति के संगठन के प्रकाशन के दिनांक से दो वर्ष का, यदि राज्य सरकार द्वारा उससे पूर्वतर समाप्त न कर दिया जाय, होगा ;

(ख) सभापति, उप सभापति और सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल का सहविस्तारी होगा ;

(ग) कोई अशासकीय सदस्य, यदि वह समिति का लाइसेंसधारी न रह गया हो या समिति में यथास्थिति, अन्यथा व्यापारी या आढ़ती के रूप में कार्य न करता हो, अपने पद पर नहीं बना रहेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन नाम-निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य का नाम नाम-निर्देशन के 21 दिन के भीतर निदेशक के यहां रजिस्ट्रीकृत किया जायगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन संगठित समिति के संगठन को निदेशक द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से गजट में विज्ञापित किया जायगा।

(7) राज्य सरकार, जहां वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, विज्ञप्ति द्वारा समिति का कार्यकाल एक बार में छः माह से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकती है, किन्तु ऐसी वृद्धि की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(8) समिति की किसी कार्यवाही पर या उसके द्वारा या उसके ओर से किये गये किसी कार्य पर इस आधार पर कि समिति के सभापति, उपसभापति या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम-निर्दिष्ट होने के लिये किसी अर्हता का अभाव था, या उसके नाम-निर्देशन में कोई त्रुटि हुई या इस आधार पर कि समिति में कोई रिक्ति या उसके संगठन में कोई अन्य त्रुटि हुई, आपत्ति नहीं की जायेगी।

कतिपय परिस्थितियों में सदस्यों का त्यागपत्र और नाम-निर्देश

13-क (क) समिति का कोई सदस्य सभापति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है। त्याग-पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिनांक को इसे निदेशक के पूर्व अनुमोदन से सभापति द्वारा स्वीकार किया जाय ;

(ख) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने त्याग-पत्र दिया है, की रिक्तियों को भरने के लिये सम्बन्धित श्रेणी के सदस्यों में से व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट किये गये व्यक्ति समिति के अवशिष्ट कार्यकाल तक के लिये पदधारण करेंगे ।

समितियों के सदस्यों, उपसभापति और सभापति का हटाया जाना

13-ख-राज्य सरकार, निदेशक की सिफारिश पर, सभापति या उप सभापति सहित किसी सदस्य को हटा सकती है, यदि वह अपने कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा या कदाचार का या किसी अमर्यादित आचरण का दोषी पाया गया हो या सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो गया हो या दिवालिया न्याय निर्णीत कर दिया गया हो और ऐसे सदस्यों की रिक्ति यथास्थिति धारा 13 की उपधारा (3) की धारा 13-क के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार भरी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सदस्य पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

समिति का निलम्बन

13-ग-जहां निदेशक का यह समाधान हो जाय कि,-

(क) कोई समिति जानबूझकर अपने कृत्यों के सम्पादन या अपने कर्तव्यों के पालन में विफल हो गयी हो, या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण किया हो या दुरुपयोग किया हो ;

(ख) समिति के जारी रहने या उसके कार्य करते रहने से लोक व्यवस्था बनाये रखने पर या विपणन क्षेत्र या उसके भाग या अन्य विपणन क्षेत्रों में समुदाय के लिये आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ; और

(ग) ऐसा करना आवश्यक हो ;

तो वह समिति से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा समिति के कार्य को छः माह की अवधि तक के लिये निलम्बित कर सकता है।

निलम्बन के परिणाम

13-घ (1) जहां कोई समिति धारा 13-ग के अधीन निलम्बित कर दी जाय, वहां उसके सभापति, उपसभापति और सदस्य के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उन्होंने निलम्बन अवधि तक अपना-अपना पद रिक्त कर दिया और समिति की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन और सम्पादन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा जो ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन या तो स्वयं या ऐसे अधिकृत अधिकारी के माध्यम से जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, कर सकता है।

(2) जहां परिस्थितियों के अनुसार समुचित आधार हों वहां निदेशक समिति के विघटन के लिए निलम्बन की तिथि से अपनी रिपोर्ट तीन माह के अन्दर राज्य सरकार को भेज सकता है।

(3) निदेशक राज्य सरकार को धारा 13-ग के अधीन निलम्बन के विषय में तत्काल रिपोर्ट करेगा और यदि कोई विपरीत निदेश या आदेश निदेशक को राज्य सरकार से 15 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो निलम्बन प्रथम आदेश में निदेशित अवधि के लिये जारी रहेगा अन्यथा वह उक्त मामले में राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार कार्य करेगा।

समिति का विघटन

13-ङ-यदि किसी समय राज्य सरकार का, निदेशक की रिपोर्ट पर, यह समाधान हो जाय कि किसी समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये गये किसी कर्तव्य के पालन में जानबूझकर व्यतिक्रम किया है, या समिति के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है या उनका दुरुपयोग किया है, तो वह उन निमित्त कारणों का उल्लेख करते हुए आदेश द्वारा समिति को सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा विघटित कर सकती है।

स्पष्टीकरण 1-जानबूझकर किये गये व्यतिक्रम का तात्पर्य समिति से उद्भूत कर्तव्यों का पालन करने में विफलता उस कर्तव्य का पालन में रजामंदी का अभाव या उसकी अनिच्छा से है और ऐसी विफलता किसी घटना या अनवधानता से हुई त्रुटि का परिणाम नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण 2-कारणों को उल्लिखित करने का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे कारण, जिन्होंने कार्यवाही के लिये प्रेरित किया है, राज्य रकार में निहित शक्ति की विषयवस्तु और परिधि के सन्दर्भ में वास्तविक और सुसंगत है।

विघटन के परिणाम

13-च समिति के विघटन पर,--

(क) समिति के सभी सदस्यों , जिनके अन्तर्गत सभापति और उपसभापति भी है, के बारे में यह समझा जायगा कि वे विघटन के दिनांक से अपने पद रिक्त कर चुके हैं।

(ख) कलेक्टर समिति का प्रशासक बन जायेगा और जब तक धारा 13 के अधीन नई समिति का संगठन नहीं हो जाता है वह या तो स्वयं या किसी ऐसे अधिकारी के माध्यम से, जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, सभापति, उपसभापति और समिति की शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो मैंने विधेयक के खण्डों मे संशोधन के प्रस्ताव दिये हैं उनमें खण्ड-4 में संशोधन का रूप निम्न प्रकार है।

खण्ड-4

खण्ड-4 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 13(1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय +--

"धारा-12 में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे जिन्हें निम्नलिखित (क) से (छ) तक में उल्लिखित वर्गों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा।"

(घोर व्यवधान के मध्य)

खण्ड-4 (3) की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति में शब्द 'राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट' के स्थान पर शब्द 'निर्वाचित' तथा दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में शब्द 'राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट' के स्थान पर 'निर्वाचित' रख दिये जायं।

(सदन के फ्लोर पर आये भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 13(1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :-

'धारा-12 में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिन्हें निम्नलिखित (क) से (छ) तक में उल्लिखित वर्गों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा ?'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि खण्ड-4(3) की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति में शब्द 'राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट' के स्थान पर शब्द 'निर्वाचित' तथा दूसरी तथा तीसरी पंक्ति में शब्द 'राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट' के स्थान पर 'निर्वाचित' रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-5 से खण्ड-12 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

धारा 15 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 15 के शब्द "निर्वाचित, नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट या नियुक्त" रख दिये जायेंगे।

धारा 17-क का प्रतिस्थापन

6-मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :--

"17-क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और उक्त इकाई द्वारा कच्ची सामग्री स्वरूप प्रयुक्त किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विपणन को सम्प्रवर्तित करने के लिये लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वह आवेदन करने पर या अन्यथा अधिसूचना द्वारा ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उपज या उपजों पर (विकास सेस को छोड़कर) मण्डी शुल्क से छूट प्रदान कर सकती है या उसकी दर में कमी कर सकती है, जैसा कि ऐसी नवस्थापित इकाई द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो इस शर्त को पूरा करती हो कि ऐसी शर्तों और निर्वन्धनों, जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, के अध्यधीन इसके संयंत्र और मशीनरी की लागत उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि, जो पांच वर्ष से अधिक न हो, के लिये दस करोड़ रुपये से कम नहीं होगी।

(2) राज्य सरकार, इस बात का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, अधिसूचना द्वारा ऐसी अवधि, जो प्रवृत्त थी, की समाप्ति के पूर्व उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना को विखण्डित कर सकती है।"

धारा 26-ख का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 26-ख में, खण्ड (छ) और (ज) में, शब्द "निर्वाचित" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "नाम-निर्दिष्ट" रख दिया जायेगा।

धारा 28, 29 ओर 30 का निकाला जाना

8-मूल अधिनियम की धारा 28, 29 और 30 निकाल दी जायेगी।

धारा 40 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (2) में,-

(क) खण्ड (1) निकाल दिया जायेगा।

(ख) खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :--

"(2) धारा 13 के अधीन समिति के संगठन के लिये या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देश द्वारा धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन परिष्कृत और नवनिर्मित मण्डी क्षेत्र के लिये और उनके परिणामिक मामलों के लिए व्यवस्था"

(ग) खण्ड (3) निकाल दिया जायेगा।

(घ) खण्ड (31-क) निकाल दिया जायेगा।

अध्याय-3

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का निरसन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 का निरसन और अपवाद

10-(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, किसी समिति की, जिसके अन्तर्गत उसका सभापति, उपसभापति और उसके सदस्य भी हैं, शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था, जैसी की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम में उपबन्धित है, ऐसी समिति के सम्बन्ध में तब तक जारी रहेगी, जब तक कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 13 के अनुसार उसका संगठन न कर दिया जाय।

अध्याय-4

विविध

विधिमान्यकरण

11-शंकाओं के निकारण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी मण्डी समिति, उसके सभापति और उपसभापति के अधिकार, कृत्य और कर्तव्य, जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2003 के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की धारा 2 के अधीन सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट में निहित थे, उक्त जिला मजिस्ट्रेट में उसी प्रकार विधिमान्यतः निरन्तर निहित समझे जायेंगे और दिनांक 14 अक्टूबर, 2003 को या उसके पश्चात् किसी भी समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अधिकारों के प्रयोग, कृत्यों के सम्पादन और कर्तव्यों के पालन में कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2004
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2003

12-(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 24 मई, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 से खण्ड-12 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 के अन्तर्गत कुल 37 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना डा0 अजय कुमार की मेरठ मण्डल में सूखे से उत्पन्न स्थिति के कारण इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगवाने व विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी-

मान्यवर, यह कैसी कार्यवाही चल रही है ?

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री ओम प्रकाश, ओ0 पी0 सिंह की जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सेमरीदरगा में विद्युत सप्लाई न होने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, तीसरी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ में डीहा बाजार मार्ग पर मगई नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकत हुई, चौथी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ स्थित पर्यटन विभाग का मण्डलीय कार्यालय गाजियाबाद स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की जनपद झांसी के ग्राम सिजारा में श्री महेश प्रसाद के साथ मारपीट और लूट की घटना के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के बिसरात घाट पर पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की जनपद वाराणसी के भैरोनाथ मोहल्ले में पूर्वांचल निधि से अधिष्ठापित नलकूप को ऊर्जीकृत एवं ट्रांसफारमर लगाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जिन अपेक्षाओं के साथ हमने आपका अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया है [***] इस तरह से विधान सभा की कार्यवाही का कोई महत्व नहीं है। इस सदन में बैठने का क्या फायदा होगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आठवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह की जनपद देवरिया अन्तर्गत रुद्रपुर क्षेत्र में बाढ़ के कारण हुई तबाही से बंधे व सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नौवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत अन्तर्गत आसाम-बस्ती मार्ग पर हाटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र पकड़ी, नगरा और कुरेजी में जल निगम द्वारा पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री ओ0 पी0 सिंह की लखनऊ महानगर में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट थानाध्यक्षों को संरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना डा0 आर0 एस0 कुशवाहा की जनपद लखीमपुर खीरी में नरभक्षी तेंदुआ के शिकार व्यक्तियों के परिवार वालों को मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत

नोट :-- [***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हुई। तेरहवीं सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की जनपद जालौन स्थित कालपी महाविद्यालय में प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

श्री हुकुम सिंह-

[xxx] 30-35 वर्ष के संसदीय इतिहास में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

चौदहवीं सूचना श्री राम कृपाल की प्रदेश में बढ़ रही दहेज हत्याओं के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। पन्द्रहवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण द्वारा सैकड़ों करोड़ का निर्माण कार्य बिना टेण्डर के कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सोलहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की आजमगढ़ शारदा सहायक खण्ड-32 में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सत्रहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की प्रदेश में किसानों को पम्पिंग सेट हेतु कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। अट्ठारहवीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की जनपद सुल्तानपुर के सदर क्षेत्र में सड़कों की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। उन्नीसवीं सूचना श्री राम किशुन की मुगलसराय रेलवे यार्ड के पास रेलवे लाइनों के किनारे स्थित गांव हेतु रेलवे क्रासिंग बनाये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बीसवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर में माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति के उपरान्त भी निर्माण कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचना नियम-52 के अन्तर्गत चर्चा हेतु स्वीकृत-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की प्रदेश की बिगड़ती विद्युत व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। श्री मिथिलेश कुमार की सूचना संसदीय कार्य मंत्री को जांच हेतु निर्दिष्ट की गयी।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं, उनके नाम इस प्रकार है :--

श्री राजेश कुमार, श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास, श्री उदयभान करवरिया, श्री पूर्णमासी देहाती, डा0 राम बाबू हरित, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, डा0 पी0 के0 राय, डा0 कौशल किशोर, श्री मदन चौहान, श्री धनन्जय सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री काली चरण राजभर, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, (दो सूचनाएं) श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह।

अब हम उठते हैं, कल दिनांक 28-07-04 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 27 जुलाई, 2004

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नोटः- [...] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पी0एस0यू0पी0-एल0 162 विधान सभा (312)-19-10-2004-813 (कम्प्यूटर) ।